



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

# वित्त लेखे (खण्ड-I) 2023-24



हरियाणा सरकार



# वित्त लेखे (खण्ड-I)

**2023-24**

**हरियाणा सरकार**



---

**विषय सारणी**


---

विषय	पृष्ठ
<b>खण्ड-I</b>	
• भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	(iii-v)
• वित्त लेखों की मार्गदर्शिका	(vii-xiii)
1 वित्तीय स्थिति की विवरणी	2-3
2 प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी	4-9
3 प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)	10-12
4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)	13-19
5 प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी	20-25
6 उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी	26-29
7 सरकार द्वारा दिये गये कर्जों तथा अग्रिमों की विवरणी	30-32
8 सरकार के निवेशों की विवरणी	33
9 सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी	34
10 राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी	35-36
11 प्रभारित और दत्तमत व्यय की विवरणी	37
12 राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के उपयोग की विवरणी	38-40
13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अन्तर्गत शेषों का सारांश	41-44
• वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ	45-63
<b>खण्ड-II</b>	
<b>भाग-I</b>	
14 लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी	66-101
15 लघु शीर्षवार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी	102-152
16 लघु शीर्ष तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी	153-206
17 उधारों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी	207-228
18 सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की विस्तृत विवरणी	229-260
19 सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी	261-281
20 सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विस्तृत विवरणी	282-288
21 आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अन्य लेने-देनों की विस्तृत विवरणी	289-302
22 पृथक रक्षित शेषों के निवेश पर विस्तृत विवरणी	303-310

---



---

 विषय सारणी
 

---



---

विषय	पृष्ठ
<b>खण्ड-II</b>	
<b>भाग-II : परिशिष्ट</b>	
I वेतन पर तुलनात्मक व्यय	312-322
II आर्थिक सहायता पर तुलनात्मक व्यय	323-328
III राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान/सहायता (संस्था तथा योजना अनुसार)	329-354
IV बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण	355-356
V योजनाओं पर व्यय	357-362
क- केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनाएं)	
ख- राज्य योजनाएं	
VI राज्य में कार्यान्वित संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण (राज्य बजट से बाहर निधियों का हस्तान्तरण) (लेखा परीक्षा रहित आंकड़े)	363-365
VII शेषों की स्वीकार्यता एवं मिलान	366-368
VIII सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	369-372
IX सरकार की वचनबद्धताएं - अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची	373-409
X वेतनगत व वेतनेत्तर मदों पर पृथक करण सहित रख-रखाव पर व्यय	410-414
XI वर्ष के दौरान वृहद नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं	415-416
XII सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं	417
XIII राज्यों का पुनर्गठन- मर्दें जहां राज्यों में शेषों के आबंटन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया	418

## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

### हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा

#### अभिमत

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के वित्त लेखों जिनमें संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से/में लेन-देन वाले संव्यवहार सम्मिलित हैं, के साथ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखाओं के संकलन में दो खंड शामिल हैं; खंड-I में वित्त की स्थिति की समेकित स्थिति और 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां' शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश शामिल है और खंड-II लेखाओं को विस्तार से दर्शाता है। वर्ष के लिए अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु सरकार के विनियोग लेखे, जो बजट तुलना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों' के साथ पढ़े जाने वाले वित्त लेखे उचित वित्तीय स्थिति और वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियां 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही हरियाणा सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

#### अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

#### प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे हरियाणा सरकार के कोषागार, कार्यालय और



(v)

विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे वित्त लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

#### **वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व**

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और हरियाणा सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

इस संकलन में विवरण (8, 9, 19 तथा 20) और परिशिष्ट (IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII एवं XIII) सीधे हरियाणा सरकार एवं संघ सरकार से प्राप्त जानकारी से तैयार किए गए हैं जो ऐसी जानकारी के लिए उत्तरदायी हैं।

#### **वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व**

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।



**दिनांक: 19 नवम्बर 2024**  
**स्थान: नई दिल्ली**

**(गिरीश चंद्र मुर्मू)**  
**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**



---

**वित्त लेखों की मार्गदर्शिका**


---

**क. शासकीय लेखों की संरचना का विस्तृत अवलोकन**

1. हरियाणा राज्य के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूंजीगत लेखों के वित्तीय परिणामों, लोक-ऋण तथा लेखों में दर्ज शेषों से तैयार की गई देनदारियों तथा सम्पत्तियों सहित, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाते हैं, जैसा कि राज्य सरकार के खातों में दर्ज शेष राशि से निकाला गया है। वित्त लेखे विनियोग लेखों के साथ होते हैं जो अनुदानों/विनियोगों के प्रति व्यय की तुलना प्रस्तुत करते हैं।

2. शासकीय लेखे निम्न तीन भागों में रखे जाते हैं:

**भाग-I: समेकित निधि:** इस निधि में, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, ऋण-पत्र, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिम एवं ऋणों की वापसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से, भारत के संविधान में निहित विधि एवं उद्देश्य के अतिरिक्त कोई धन आहरित नहीं किया जा सकता। कुछ व्यय (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋणों की पुर्नादायगी आदि) राज्य सरकार की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं एवं विधान मण्डल के अनुमोदन के विषय नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान मण्डल द्वारा पारित होते हैं।

समेकित निधि में दो भाग होते हैं- राजस्व एवं पूंजीगत (लोक ऋण, कर्ज एवं अग्रिम सहित)। इन्हें आगे, 'प्राप्तियां' एवं 'व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियां अनुभाग, तीन खण्डों में बांटा गया है, जैसे - 'कर राजस्व', 'करेत्तर राजस्व' एवं 'सहायतानुदान तथा अंशदान'। इन तीन खण्डों को आगे उप-खण्डों जैसे - 'वस्तु एवं सेवा कर', 'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवाएं' इत्यादि में बांटा गया है। पूंजीगत प्राप्तियाँ अनुभाग में कोई खण्ड अथवा उप-खण्ड नहीं होते हैं। राजस्व व्यय अनुभाग को चार खण्डों में बांटा गया है जैसे- 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' एवं 'सहायतानुदान' तथा 'अंशदान'। राजस्व व्यय अनुभाग में इन खण्डों को आगे उप खण्डों जैसे- 'राज्य के अंग', 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' आदि में विभाजित किया गया है। पूंजीगत व्यय भाग आगे सात खण्डों जैसे 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'लोक ऋण', 'कर्ज एवं अग्रिम', 'अन्तरराज्यीय समायोजन' तथा 'आकस्मिकता निधि' को अन्तरण में विभाजित किया गया है।

**भाग-II : आकस्मिकता निधि :** यह निधि अग्रदाय स्वरूप की है जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि के अनुसार स्थापित की गई है तथा इसे राज्यपाल के अधिकार में रखा गया है ताकि राज्य विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान किया जा सके। इस निधि को राज्य सरकार की समेकित निधि से, संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष में व्यय दर्ज करके प्रतिपूर्ति किया जाता है। हरियाणा सरकार की वर्ष 2023-24 की आकस्मिक निधि ₹ 1,000.00 करोड़ है।

---

**वित्त लेखों की मार्गदर्शिका - जारी**


---

**भाग-III: लोक लेखा:** सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहाँ सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में, लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण तथा उचन्त शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम बुकिंग के लम्बित रहते अस्थाई शीर्ष हैं) जैसे प्रतिदेय योग्य सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखा में सम्मिलित होता है। लोक-लेखा में छः खण्ड जैसे: 'लघु बचते, भविष्य निधियाँ इत्यादि,' 'आरक्षित निधियाँ,' 'जमा तथा अग्रिम,' 'उचन्त तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'रोकड़ शेष' सम्मिलित हैं। ये खण्ड आगे उप खण्डों में विभाजित होते हैं। लोक लेखा, विधान मण्डल के अनुमोदन का विषय नहीं है।

- शासकीय लेखे, छःस्तरीय वर्गीकरण जैसे: मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप-मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप-शीर्ष (दो अंक), विस्तृत शीर्ष (दो से तीन अंक), एवं उद्देश्य शीर्ष (दो/तीन/चार अंक) में प्रस्तुत किए जाते हैं। मुख्य शीर्ष, सरकार के कार्यों को, उप-मुख्य शीर्ष, उप-कार्यों को, लघु-शीर्ष कार्यक्रमों/क्रिया-कलापों को, उप-शीर्ष योजनाओं को, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं को एवं उद्देश्य शीर्ष, व्यय के प्रयोजन/ उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं।
- लेखों में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कूटबद्ध करने की पद्धति निहित है (मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की 31 मार्च 2024 तक संशोधित सूची अनुसार)।

**0005 से 1606****राजस्व प्राप्तियाँ****2011 से 3606****राजस्व व्यय****4000****पूंजीगत प्राप्तियाँ****4046 से 7810****पूंजीगत व्यय (लोक-ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)****7999****आकस्मिकता निधि को विनियोजन****8000****आकस्मिकता निधि****8001 से 8999****लोक लेखा**


---

**वित्त लेखों की मार्गदर्शिका - जारी**


---

5. लेखों की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार है:

**शासकीय लेखों की संरचना**



**ख. वित्त लेखों में समाहित है**

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

**खण्ड-I** में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, वित्त लेखों की मार्ग दर्शिका, 13 विवरणियाँ जो कि चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति एवं लेन-देनों की संक्षिप्त जानकारी देती हैं तथा वित्त लेखों पर टिप्पणियां सम्मिलित है।

**खण्ड-I** की 13 विवरणियों तथा वित्त लेखे पर टिप्पणियों का वर्णन निम्न प्रकार है-

- वित्तीय स्थिति की विवरणी:** यह विवरणी, राज्य सरकार की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के वर्ष के अन्त तक के संचयात्मक आंकड़ों, को पूर्व वर्ष के अन्त तक की स्थिति से तुलनात्मक रूप में दिखाती है।

---

**वित्त लेखों की मार्गदर्शिका - जारी**


---

2. **प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी:** यह विवरणी शासकीय लेखों के सभी तीन भागों- समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखा में वर्ष के दौरान राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) विकल्प को दर्शाने वाला एक अनुबंध सम्मिलित है। यह अनुबंध, सरकार की अर्थोपाय की विस्तृत स्थिति प्रस्तुत करता है।
3. **प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि):** यह विवरणी राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों, उधारियों तथा सरकार द्वारा प्रदत्त कर्जों की वसूली को दर्शाती है। यह विवरणी, वित्त लेखों के खण्ड-II की विस्तृत विवरणियां 14, 17 एवं 18 की समरूपी है।
4. **व्यय की विवरणी (समेकित निधि):** वित्त लेखों के लघु शीर्ष स्तर पर दर्शाने के सामान्य व्यवहार के अपदान स्वरूप, यह विवरणी व्यय को उसकी प्रकृति अनुसार (व्यय के उद्देश्य) भी विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी खण्ड-II की विवरणियां 15, 16, 17 एवं 18 की समरूपी है।
5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी:** यह विवरणी खण्ड-II में विस्तृत विवरणी 16 की समरूपी है।
6. **उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी:** सरकार के उधारों में, उसके द्वारा लिए गए बाजार कर्ज (आन्तरिक ऋण) एवं भारत सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। अन्य दायित्वों में, 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि', 'आरक्षित निधियाँ' एवं 'जमा' सम्मिलित हैं। इस विवरणी में ऋण के उपयोग पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है एवं यह खण्ड-II में विस्तृत विवरणी 17 की समरूपी है।
7. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ऋणियों जैसे- संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्त एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों एवं प्राप्तकर्ता व्यक्तियों (सरकारी कर्मचारियों सहित) को प्रदत्त सभी ऋण एवं अग्रिमों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 18 की समरूपी है।
8. **सरकार के निवेशों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों की शेयर पूंजी में निवेशों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II में विस्तृत विवरणी 19 की समरूपी है।
9. **सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी:** यह विवरणी, राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों एवं उन पर ब्याज की वापसी के लिए दी गई गारंटियों का सार प्रस्तुत करती है। यह विवरणी खण्ड-II में विस्तृत विवरणी 20 की समरूपी है।
10. **राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी:** यह विवरणी सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदेयियों जैसे संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्त एवं अन्य निकायों/ प्राधिकारियों एवं व्यक्तियों को प्रदत्त सभी सहायतानुदानों को दर्शाती है। प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-III में समाहित है।

---

**वित्त लेखों की मार्गदर्शिका - जारी**


---

11. **प्रभारित और दत्तमत व्यय की विवरणी:** यह विवरणी वित्त लेखों में दर्ज निवल आंकड़ों एवं विनियोग लेखों में दर्ज सकल आंकड़ों के मेल में सहायक है।
12. **राजस्व लेखों के व्यय के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के उपयोग की विवरणी:** यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिए जबकि वार्षिक पूँजीगत व्यय को, राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आरम्भ में नगद शेष एवं उधारों से पूरा किया जाना चाहिए।
13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश:** यह विवरणी लेखों की सत्यता मापने में सहायक है। यह विवरणी खण्ड-II में विस्तृत विवरणियां 14, 15, 16, 17, 18 एवं 21 की समरूपी है।

**वित्त लेखों पर टिप्पणियां एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां**

वित्त लेखों पर टिप्पणियां प्रकटीकरण तथा व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य लेनदेनों, लेनदेनों के वर्गों, शेषों इत्यादि से संबंधित अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करना है, जो कि वित्त लेखों के हितधारकों/उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक होगा।

बजट एवं वित्तीय प्रतिवेदन के आधार, भारत सरकार के लेखांकन मानकों की जरूरतें, लेखों के प्रारूप, पूँजीगत तथा राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकरण, पूर्णांकन, आवधिक समायोजन इत्यादि सहित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों को वित्त लेखों के खण्ड-I में लेखों पर टिप्पणियों के रूप में शामिल किया गया है।

वित्त लेखों के खण्ड-II के दो भाग हैं, भाग-I में नौ विस्तृत विवरणियाँ एवं भाग-II में तेरह परिशिष्ट सम्मिलित हैं।

**खण्ड-II का भाग-I**

14. **लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी वित्त लेखों के खण्ड-I में संक्षिप्त विवरणी 3 की समरूपी हैं। यह विवरणी राजस्व प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विवरण देने के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उप शीर्ष स्तर पर विवरण दर्शाता है।
15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी जो कि खण्ड-I में संक्षिप्त विवरणी 4 की समरूपी है, राज्य सरकार के राज्य के राजस्व व्यय को दर्शाती है। भारित तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं।

---



---

**वित्त लेखों की मार्गदर्शिका - जारी**

---



---

- 16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी जो कि खण्ड-I में संक्षिप्त विवरणी 5 की समरूपी है, राज्य सरकार के पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान एवं संचयात्मक) को दर्शाती है। प्रभासित तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में, पूँजीगत व्यय का विवरण लघु शीर्षवार दिखाए जाने के अतिरिक्त इस विवरणी में उपशीर्ष स्तर तक भी दिखाया जाता है।
- 17. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी जो कि खण्ड-I में संक्षिप्त विवरणी 6 की समरूपी है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋणों (बाजार ऋण, ऋण-पत्र, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रदत्त अर्थोपयाय अग्रिमों को दर्शाती हैं। यह विवरणी, ऋणों की सूचना तीन श्रेणियों (क) प्रत्येक ऋण का ब्यौरा (ख) परिपक्वता रूप-रेखा अर्थात् प्रत्येक श्रेणी के ऋणों की विभिन्न वर्षों में देय राशि (ग) बकाया ऋणों पर ब्याज दर की रूप-रेखा तथा बाजार ऋणों को दर्शाता अनुलग्नक, में प्रस्तुत करती है।
- 18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी, खण्ड-I में संक्षिप्त विवरणी 7 की समरूपी है।
- 19. सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी वर्ष के दौरान संस्था अनुसार निवेशों एवं विवरणी 16 तथा 19 में मुख्य एवं लघु शीर्षवार निवेशों की विसंगतियों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I में विवरणी 8 की समरूपी है।
- 20. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी, सरकार की गारंटियों का संस्थानुसार विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी खण्ड-I में विवरणी 9 की समरूपी है।
- 21. आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के लेन-देनों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी, आकस्मिकता निधि में असमायोजित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अन्त में लम्बित शेषों का लघु शीर्षवार विवरण दर्शाती है।
- 22. पृथक रक्षित शेषों के निवेश पर विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों का विवरण दर्शाती है।

**खण्ड-II का भाग II**

**भाग-II** में वेतन, आर्थिक सहायता, सहायतानुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ इत्यादि की विभिन्न मदों, पर 13 परिशिष्ट सम्मिलित हैं। ये विवरण, लेखों में उप शीर्ष अथवा उसके निचले स्तर (लघु शीर्ष के नीचे) पर उपलब्ध है तथा इसलिए सामान्यतः वित्त लेखों में नहीं दर्शाए जाते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड-I तथा खण्ड-II की विषय सारणी में उपलब्ध है। परिशिष्टों के साथ पठित वित्त लेखों की विवरणियां तथा टिप्पणियां वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों तथा संवितरणों के साथ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करती हैं।

---

**वित्त लेखों की मार्गदर्शिका - समाप्त**


---

**ग. शीघ्र गणकः**

निम्न अनुभाग, खण्ड-I में दर्ज सार विवरणियों को खण्ड-II में दर्ज विस्तृत विवरणियों एवं परिशिष्टों से जोड़ता है (परिशिष्ट जो सार विवरणियों से सीधे तौर पर संबधित नहीं है नीचे नहीं दर्शाए गए हैं)।

मानक	खण्ड-I	खण्ड-II	
	सार विवरणियाँ	विस्तृत विवरणियाँ	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदान सहित), पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (आर्थिक सहायता)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान	2, 10	..	III (सहायतानुदान/सहायता)
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण तथा अग्रिम	1, 2, 7	18	
ऋण स्थिति एवं उधारियाँ	1, 2, 6	17	
कंपनियों, निगमों इत्यादि में सरकार द्वारा किए गए निवेश	8	19	
रोकड़	1, 2, 12, 13	..	
लोक लेखा में शेष एवं उनका निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	
गारंटियाँ	9	20	
योजनाएँ			IV (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ), V (योजनाओं पर व्यय)

घ. विभिन्न विवरणियों/परिशिष्टों में प्रयुक्त प्रतीक ".." का अर्थ शून्य मान/शून्य है।



---

# संक्षेप विवरण्यां

---

## 1. वित्तीय स्थिति की विवरणी

सम्पत्तियाँ*	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरणी		
<b>रोकड़</b>			<b>5,438.02</b>	<b>3,833.55</b>
(i) खजानों तथा स्थानीय प्रेषण में रोकड़		21	0.54	0.54
(ii) विभागीय शेष		21	4.03	3.91
(iii) स्थायी अग्रदाय		21	0.11	0.11
(iv) रोकड़ शेष का निवेश		21	1,272.60	1,310.12
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	5 (ix)	21	373.36	(-)716.63(क)
(vi) पृथक रक्षित निधियों से निवेश		22	3,787.38	3,235.50
<b>पूंजीगत व्यय</b>		16	<b>1,56,410.71</b>	<b>1,40,604.60</b>
(i) कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश		19	38,278.21	38,020.05
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय		16	1,18,132.50	1,02,584.55
आकस्मिकता निधि (अनापूर्ति)	4(i)	21	<b>545.95</b>	..
कर्ज तथा उधार	3(xii)	18	<b>14,328.46</b>	<b>10,574.39</b>
विभागीय अधिकारियों के अग्रिम		21	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>
उचन्त और विविध शेष <sup>(1)</sup>	5(iv)	21	<b>19.72</b>	..
प्रेषण शेष		21	..	..
प्राप्तियों पर व्यय की संचयात्मक अधिवक्ता <sup>(2)</sup>		12	<b>1,66,749.02(ख)</b>	<b>1,54,868.16</b>
पूर्णांक के कारण अन्तर			<b>0.01</b>	<b>0.02</b>
<b>जोड़</b>			<b>3,43,492.63</b>	<b>3,09,881.46</b>

\* सम्पत्तियों और दायित्वों के आंकड़े संचयात्मक आंकड़े हैं। कृपया 'वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ' में पैरा 1(ii) देखें।

(क) माइनस आंकड़े रोकड़ शेष (जमा) को दर्शाते हैं।

(ख) आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन ₹ 1,000.00 करोड़, विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंशदान ₹ (-)601.01 करोड़ और अप्राप्य अकस्मिकता निधि से अंशदान ₹ (-)545.95 करोड़ के कारण विवरणी संख्या 12 से भिन्न है।

(1) इस विवरणी में पंक्ति मद 'उचन्त और विविध शेष' में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' नहीं जोड़ी गई है, जिसे ऊपर अलग से शामिल किया गया है यद्यपि बाद वाला भाग इन लेखों में अन्य स्थानों पर इस क्षेत्र का भाग है।

(2) खर्च से अधिक प्राप्तियाँ अथवा प्राप्तियों से अधिक खर्च राजकोषीय/राजस्व घाटे से भिन्न है तथा चालू वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं है।

## 1. वित्तीय स्थिति की विवरणी - समाप्त

(₹ करोड़ में)				
दायित्व	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	लेखे पर टिप्पणियां	विवरणी		
<b>उधार (सार्वजनिक ऋण)</b>				
(i) आंतरिक ऋण		17	<b>2,80,772.24</b>	<b>2,52,780.77</b>
(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		17	<b>15,825.21</b>	<b>14,290.07</b>
योजनेत्तर ऋण		17	4.41	5.99
राज्य सरकार योजनाओं के लिए ऋण		17	456.43	631.48
अन्य ऋण		17	15,364.37	13,652.60
<b>आकस्मिकता निधि (शेष)</b>	4(i)	21	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>लोक लेखे पर दायित्व</b>				
(i) लघु बचत, भविष्य निधियां आदि		21	<b>18,762.25</b>	<b>18,663.82</b>
(ii) जमा		21	<b>14,557.39</b>	<b>12,110.24</b>
(iii) आरक्षित निधियां	5(ii)	21	<b>12,238.55</b>	<b>10,258.96</b>
(iv) उचन्त तथा विविध शेष	5(iv)	21	..	<b>425.44</b>
(v) प्रेषण शेष		21	<b>336.99</b>	<b>352.16</b>
<b>प्राप्तियों से व्यय की संचयात्मक अधिवक्ता</b>			..	..
<b>जोड़</b>			<b>3,43,492.63</b>	<b>3,09,881.46</b>

## 2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियाँ			संवितरण	
	2023-24	2022-23		2023-24	2022-23
<b>भाग-I समेकित निधि</b>					
<b>अनुभाग-क- राजस्व</b>					
<b>राजस्व प्राप्तियाँ</b> (संदर्भ: वि. 3 व 14)	<b>1,01,314.84</b>	<b>89,194.69</b>	<b>राजस्व व्यय</b> (संदर्भ: वि. 4-क, 4-ख व 15)	<b>1,13,195.70</b>	<b>1,06,406.21</b>
<b>कर राजस्व (राज्य द्वारा एकत्रित)</b> (संदर्भ: वि. 3 व 14)	<b>72,511.12</b>	<b>62,960.80</b>	<b>वेतन<sup>(1)</sup></b> (संदर्भ: वि. 4-ख व परिशिष्ट I)	27,168.38(क)	25,446.42
<b>करेत्तर राजस्व</b> (संदर्भ: वि. 3 व 14)	<b>8,103.00</b>	<b>8,742.63</b>	<b>आर्थिक सहायता<sup>(1)</sup></b> (संदर्भ: वि. 4-ख व परिशिष्ट II)	10,718.41	9,359.92
			<b>सहायतानुदान<sup>(1) (2)</sup></b> (संदर्भ: वि. 4-ख, 10 व परिशिष्ट III)	12,139.09	11,673.48
<b>ब्याज प्राप्तियाँ</b> (संदर्भ: वि. 3 व 14)	1,645.20	1,464.09	<b>सामान्य सेवाएं</b> (संदर्भ: वि. 4 व 15)	<b>37,879.58</b>	<b>35,119.62</b>
<b>अन्य</b> (संदर्भ: वि. 3)	6,457.80	7,278.54	<b>ब्याज अदायगी तथा ऋण शोधन</b> (संदर्भ: वि. 4-क, 4-ख व 15)	21,904.97(ख)	20,395.57
<b>कुल</b> (संदर्भ: वि. 3 व 14)	8,103.00	8,742.63	<b>पेंशन</b> (संदर्भ: वि. 4-क, 4-ख व 15)	13,496.70(ग)	12,403.83
<b>केन्द्र के कर/शुल्क का हिस्सा</b> (संदर्भ: वि. 3 व 14)	<b>12,345.35</b>	<b>10,378.00</b>	<b>अन्य</b> (संदर्भ: वि. 4-ख)	2,477.91	2,320.22
			<b>कुल</b> (संदर्भ: वि. 4-क व 15)	37,879.58	35,119.62
			<b>सामाजिक सेवाएं</b> (संदर्भ: वि. 4-क व 15)	<b>20,509.91</b>	<b>20,042.65</b>
			<b>आर्थिक सेवाएं</b> (संदर्भ: वि. 4-क व 15)	<b>4,780.33</b>	<b>4,764.12</b>
<b>केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान</b> (संदर्भ: वि. 3 व 14)	<b>8,355.37</b>	<b>7,113.26</b>	<b>स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन</b> (संदर्भ: वि. 4-क व 15)	..	..
<b>राजस्व घाटा</b>	<b>11,880.86</b>	<b>17,211.52</b>	<b>राजस्व अधिकता</b>	..	..

(1) समेकित आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण के लिए सभी क्षेत्रों के वेतन, सहायता व सहायतानुदान के आकड़ें जोड़ लिए गये हैं। इस विवरण में सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय में वेतन, आर्थिक सहायता, सहायतानुदान पर किया व्यय शामिल नहीं हैं (स्पष्टीकरण टिप्पणी-2 में)।

- (2) सहायतानुदान में सभी मुख्य शीर्ष तथा सभी लघु शीर्ष 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198 एवं 199 के उद्देश्य शीर्ष (कोड 09 व 43) के जोड़ को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा संवैधानिक निगमों, कम्पनियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों को दिया गया सहायतानुदान उपरोक्त में पंक्ति मद के रूप में शामिल है। यह अनुदान स्थानीय उपक्रमों को प्रदान किए गए करों व शुल्कों की क्षतिपूर्ति तथा आबंटन से अलग है जिसे अलग पंक्ति मद 'स्थानीय निकायों' तथा 'पंचायती राज संस्थाओं' में दर्शाया गया है।
- (क) इसमें तीन ब्यय के मानक प्रयोजन वेतन, महंगाई भत्ता तथा अवकाश यात्रा भत्ता रियायत शामिल हैं। विवरण 4ख में, यह केवल वेतन से संबंधित है और इसमें महंगाई भत्ता तथा अवकाश यात्रा रियायत शामिल नहीं है।
- (ख) मुख्य शीर्ष 2048 तथा 2049 के अंतर्गत आंकड़ों को दर्शाता है। विवरणी 4(ख) में, ब्यय का मानक प्रयोजन ब्याज के तहत आंकड़ों में मुख्य शीर्ष 2049, 2700, 2701, 3055 तथा 4408 शामिल हैं।
- (ग) मुख्य शीर्ष 2071 से संबंधित है जिसमें तीन ब्यय के मानक प्रयोजन शामिल हैं- अंशदान, पेंशन तथा उपदान। विवरणी 4(ख) में ब्यय के मानक प्रयोजन-पेंशन, राजस्व में शीर्ष- 2071, 2220, 2235, 2700 तथा 2701 के अंतर्गत आंकड़े शामिल हैं तथा पूंजीगत में मुख्य शीर्ष 4700, 4701, 4702 तथा 4711 (अनुपातिक शुल्क) शामिल है।

## 2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी - जारी

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियाँ			संवितरण	
	2023-24	2022-23		2023-24	2022-23
<b>भाग-I समेकित निधि</b>					
<b>अनुभाग-ख-पूँजी</b>					
<b>पूँजीगत प्राप्तियाँ</b> (संदर्भ: वि. 3 व 14)	<b>114.83</b>	<b>73.91</b>	<b>पूँजीगत व्यय</b> (संदर्भ: वि. 4क, 4ख व 16)	<b>15,920.94</b>	<b>11,664.95</b>
			<b>सामान्य सेवाएं</b> (संदर्भ: वि. 4क व 16)	<b>640.61</b>	<b>552.80</b>
			<b>सामाजिक सेवाएं</b> (संदर्भ: वि. 4क व 16)	<b>4,437.93</b>	<b>3,755.82</b>
			<b>आर्थिक सेवाएं</b> (संदर्भ: वि. 4क व 16)	<b>10,842.40 (क)</b>	<b>7,356.33(ख)</b>
<b>कर्ज तथा उधार से वसूलियाँ</b> (संदर्भ: वि. 3, 7 व 18)	<b>301.15</b>	<b>237.75</b>	<b>कर्ज तथा उधार संवितरण</b> (संदर्भ: वि. 4क, 7 व 18)	<b>4,055.21</b>	<b>2,462.07</b>
			<b>सामान्य सेवाएं</b> (संदर्भ: वि. 4क, 7 व 18)	..	..
			<b>सामाजिक सेवाएं</b> (संदर्भ: वि. 4क, 7 व 18)	<b>1,968.14</b>	<b>854.48</b>
			<b>आर्थिक सेवाएं</b> (संदर्भ: वि. 4क, 7 व 18)	<b>1,989.90</b>	<b>1,523.31</b>
			<b>सरकारी कर्मचारियों को ऋण</b> (संदर्भ: वि. 4क, 7 व 18)	<b>97.17</b>	<b>84.28</b>
<b>लोक ऋण प्राप्तियाँ</b> (संदर्भ: वि. 3, 6 व 17)	<b>88,720.82</b>	<b>80,649.29</b>	<b>लोक ऋण की पुर्नअदायगियां</b> (संदर्भ: वि. 4क, 6 व 17)	<b>59,194.21</b>	<b>53,021.27</b>
<b>आंतरिक ऋण (बाजार कर्ज, एन.एस.एस.एफ आदि)</b> (संदर्भ: वि. 3, 6 व 17)	<b>86,975.66</b>	<b>79,378.99</b>	<b>आंतरिक ऋण (बाजार कर्ज, एन.एस.एस.एफ आदि)</b> (संदर्भ: वि. 4क, 6 व 17)	<b>58,984.20</b>	<b>52,806.45</b>
<b>केन्द्रीय सरकार से कर्ज</b> (संदर्भ: वि. 3, 6 व 17)	<b>1,745.16</b>	<b>1,270.30</b>	<b>केन्द्रीय सरकार से कर्ज</b> (संदर्भ: वि. 4क, 6 व 17)	<b>210.01</b>	<b>214.82</b>
<b>अन्तर्राज्यीय परिशोधन लेखा (निवल)/आकस्मिकता निधि को विनियोजन</b>	..	..	<b>अन्तर्राज्यीय परिशोधन लेखा (निवल)/आकस्मिकता निधि को विनियोजन</b>	..	..
			<b>पूर्णांकन के कारण</b>	..	..
<b>समेकित निधि कुल प्राप्तियाँ</b> (संदर्भ: वि. 3)	<b>1,90,451.64</b>	<b>1,70,155.64</b>	<b>समेकित निधि कुल व्यय</b> (संदर्भ: वि. 4)	<b>1,92,366.06</b>	<b>1,73,554.50</b>
<b>समेकित निधि में कमी</b>	<b>1,914.42</b>	<b>3,398.86</b>	<b>समेकित निधि में अधिकता</b>	..	..

(क) ₹ 830.43 करोड़ वेतन के सम्मिलित है।

(ख) ₹ 867.29 करोड़ वेतन के सम्मिलित है।

## 2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी - समाप्त

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियाँ			संवितरण	
	2023-24	2022-23		2023-24	2022-23
<b>भाग-II आकस्मिकता निधि</b>					
आकस्मिकता निधि (संदर्भ: वि. 21)	..	..	आकस्मिकता निधि (संदर्भ: वि. 21)	545.95	..
<b>भाग-III लोक लेखा <sup>(3)</sup></b>					
लघु बचत, भविष्य निधि आदि (संदर्भ: वि. 21)	3,484.04	3,620.00	लघु बचत, भविष्य निधि आदि (संदर्भ: वि. 21)	3,385.61	3,350.63
आरक्षित तथा निक्षेप निधि (संदर्भ: वि. 21)	2,523.27	1,801.05	आरक्षित तथा निक्षेप निधि (संदर्भ: वि. 21)	1,095.56	911.75
जमा (संदर्भ: वि. 21)	57,884.04	52,493.39	जमा (संदर्भ: वि. 21)	55,436.90	52,108.09
अग्रिम (संदर्भ: वि. 21)	..	..	अग्रिम (संदर्भ: वि. 21)	..	..
उचन्त तथा विविध (संदर्भ: वि. 21)	64,992.58	67,588.71	उचन्त तथा विविध <sup>(4)</sup> (संदर्भ: वि. 21)	65,400.34	66,116.76
प्रेषण (संदर्भ: वि. 21)	12,361.36	10,451.30	प्रेषण (संदर्भ: वि. 21)	12,376.53	10,413.74
लोक लेखा कुल प्राप्तियाँ (संदर्भ: वि. 21)	1,41,245.29	1,35,954.45	लोक लेखा कुल संवितरण (संदर्भ: वि. 21)	1,37,694.94	1,32,900.97
लोक लेखे में कमी	..	..	लोक लेखे में अधिकता	3,550.35	3,053.48
आरंभिक रोकड़ शेष	(-)716.09	(-)370.70	अन्तिम रोकड़ शेष	373.90	(-)716.09
रोकड़ शेष में बढ़ोतरी	1,089.99	(-)345.39	रोकड़ शेष में कमी	..	..

<sup>(3)</sup> विवरणों के लिए कृपया खण्ड II में विवरणी संख्या 21 देखें।

<sup>(4)</sup> 'उचन्त तथा विविध' में 'अन्य लेखे' जैसे कि रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) शामिल है। इन अन्य लेखों के कारण संख्याएँ बड़ी दिखाई दे सकती है। विवरणों के लिए खण्ड II की विवरणी संख्या 21 देखें।

## विवरणी संख्या 2 का अनुबंध

### रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)		
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
<b>(अ) सामान्य रोकड़ शेष:-</b>		
1. रिजर्व बैंक में जमा राशियाँ <sup>(1)</sup>	373.36*	(-)716.63
2. मार्गस्थ प्रेषण-स्थानीय	0.54	0.54
<b>जोड़</b>	<b>373.90</b>	<b>(-)716.09</b>
3. "रोकड़ शेष निवेश लेखा" में दिखाए गये निवेश	1,272.60**	1,310.12
<b>जोड़ (अ)</b>	<b>1,646.50</b>	<b>594.03</b>
<b>(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश</b>		
<b>विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़</b>		
1. विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ जैसे कि वन और लोक निर्माण कार्य	4.03	3.91
2. आकस्मिक व्यय के लिए विभागीय अधिकारियों के पास स्थाई अग्रिम	0.11	0.11
3. पृथकरक्षित निधियों का निवेश	3,787.38	3,235.50
<b>जोड़ (ब)</b>	<b>3,791.52</b>	<b>3,239.52</b>
<b>जोड़ (अ) और (ब)</b>	<b>5,438.02</b>	<b>3,833.55</b>

(1) "रिजर्व बैंक में जमा" शीर्ष के अन्तर्गत शेष, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेन देनों से संबंधित अन्तर सरकारी वित्तीय समायोजनों जो कि भारतीय रिजर्व बैंक को 10 अप्रैल 2024 तक सूचित किए गए हैं, को शामिल करके निकाला जाता है।

\* महालेखाकार के अनुसार "मार्गस्थ प्रेषण" के रूप में ₹ 0.54 करोड़ (नामे) के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक रोकड़ शेष ₹ 373.36 करोड़ (नामे) था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2024 को सूचित किया गया रोकड़ शेष ₹ 81.90 करोड़ (जमा) है। इस प्रकार दोनों आकड़ों में ₹ 291.46 करोड़ का अन्तर है। अंतर का मिलान किया जा रहा है।

\*\* भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 1,188.72 करोड़ से ₹ 83.88 करोड़ का अंतर है। यह अन्तर पिछले वर्षों से संबंधित है जिसका मिलान किया जा रहा है।

---



---

## विवरणी संख्या 2 का अनुबंध - जारी

---

### रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

#### व्याख्यात्मक टिप्पणियां

(क) **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य** - जैसा कि पूर्व पृष्ठ पर विवरणी में दिया गया है रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में, खजानों में रोकड़ और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों में जमा तथा मार्गस्थ प्रेषण शामिल है, शीर्ष 'रिजर्व बैंक में जमा' के शेष, वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के मिश्रित शेषों को दिखाते हैं। कुल रोकड़ स्थिति जानने के लिए खजानों तथा विभागों के पास रोकड़ शेष, रोकड़ शेष/आरक्षित निधियों में से किए गए निवेशों को भारतीय रिजर्व बैंक में 'जमा' शेष में जोड़ा जाता है।

(ख) **दैनिक रोकड़ शेष:-**

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए एक अनुबंध के अधीन, हरियाणा सरकार को बैंक के पास न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष ₹ 1.14 करोड़ रखना पड़ता है। जब किसी दिन यह शेष सहमत न्यूनतम राशि से कम हो जाता है तो समय-समय पर साधारण तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर कमी को पूरा कर लिया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष देने के लिए दैनिक रोकड़ शेष<sup>(2)</sup> की गणना हेतु रिजर्व बैंक 14 दिवसीय खजाना बिलों की धारिता के साथ वर्तमान दिवस में किए गए लेन देनों (भारतीय रिजर्व बैंक शाखाएं, अर्न्तशासकीय लेन देन तथा अभिकर्ता बैंकों द्वारा किए गए खजाना लेन-देनों की रिपोर्ट) का मूल्यांकन करता है। इस तरह प्राप्त रोकड़ शेष में 14 दिवसीय खजाना बिलों की परिपक्वता, (यदि कोई हो) जोड़ी जाती है तथा न्यूनतम रोकड़ शेष को रखने के बाद अधिशेष (यदि कोई हो) उसे खजाना बिलों में पुर्ननिवेश किया जाता है। यदि परिणामस्वरूप निवल रोकड़ शेष, न्यूनतम रोकड़ सीमा से कम या क्रेडिट शेष आता है और यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना बिल की परिपक्वता तिथि न हो तो रिजर्व बैंक 14 दिवसीय खजाना बिलों को भुनाता है तथा कमी को पूरा कर लेता है। यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना बिल ना हो तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष के लिए आवेदन करती है।

(ग) 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार की अर्थोपाय अग्रिम सीमा ₹ 1,464.00 करोड़ थी। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने को भी सहमत हो गया है। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर बैंक द्वारा संशोधित की जाती है।

---

(2) ऊपर दिया गया रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक में जमा) 31 मार्च 2024 का अंतिम रोकड़ शेष है परन्तु यह 10 अप्रैल तक निकाला गया है तथा यह स्पष्ट 31 मार्च 2024 को दैनिक शेष नहीं है।

---

**विवरणी संख्या 2 का अनुबंध - समाप्त**


---

**रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश**


---

समय अवधि जिस तक, वर्ष 2023-24 में, सरकार ने रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम शेष रखा है, का विवरण नीचे दिया गया है:-

(क)	दिनों की संख्या जिनमें अग्रिम लिए बिना न्यूनतम शेष बनाए रखा गया	203
(ख)	दिनों की संख्या जिनमें साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बनाए रखा गया	50
(ग)	दिनों की संख्या जिनमें न्यूनतम सीमा तक विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बनाये रखा गया	113
(घ)	दिनों की संख्या जिनमें उपरोक्त लिखित अग्रिम लेने के बाद भी न्यूनतम शेष कम रहा परन्तु कोई अधिविकर्ष नहीं लिया गया	..
(ङ)	दिनों की संख्या जिनमें अधिविकर्ष लिया गया	..

वर्ष 2023-24 के अन्त तक, अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष के अन्तर्गत कोई राशि बकाया नहीं थी। वर्ष 2023-24 में, ₹ 25,994.12 करोड़ सामान्य/कम/अधिक अर्थोपाय अग्रिम लिया गया तथा पूर्ण राशि इसी वर्ष वापिस कर दी गई तथा कोई भी बकाया नहीं रहा।

वर्ष 2023-24 के दौरान, अर्थोपाय पेशगियों पर ₹ 9.03 करोड़ ब्याज के रूप में अदा किए गए।

राज्य सरकार ने रोकड़ शेष निवेश लेखा के अन्तर्गत ₹ 1,272.60 करोड़ भारत सरकार की प्रतिभूतियों के अन्तर्गत निवेश किए। इस निवेश पर चालू वर्ष में ₹ 6.19 करोड़ ब्याज प्राप्त हुआ जो कि पिछले वर्ष में प्राप्त हुए ब्याज से ₹ 1.83 करोड़ कम था।

पृथक रक्षित निधियों में से निवेश की गई राशि, विवरणी संख्या 22 में दर्शायी गई है।

### 3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

#### I कर एवं कर भिन्न राजस्व

		(₹ करोड़ में)	
विवरण		वास्तविक	
		2023-24	2022-23
क.	कर राजस्व		
क.1	अपना कर राजस्व	72,511.12	62,960.80
	राज्य वस्तु और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)	33,960.03	28,576.56
	भू-राजस्व	22.41	22.43
	स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस	10,529.29	8,607.13
	राज्य उत्पाद शुल्क	11,326.48	9,673.37
	बिक्री एवं व्यापार आदि पर बिक्री कर	11,330.56	11,262.05
	वाहनों पर कर	4,903.64	4,231.20
	माल और यात्रियों पर कर	6.71	2.76
	बिजली पर कर तथा शुल्क	424.47	578.00
	बस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	7.53	7.30
क.2.	करों की निवल प्राप्तियों का भाग	12,345.35	10,378.00
	केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	3,746.67	2,932.91
	एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	..	..
	निगम कर	3,705.50	3,478.57
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	4,279.41	3,397.23
	आय और व्यय पर अन्य कर	..	..
	सम्पत्ति पर कर	..	..
	सीमा कर	432.62	407.99
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	163.72	128.00
	सेवा कर	2.31	16.22
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	15.12	17.08
	<b>जोड़- क</b>	<b>84,856.47</b>	<b>73,338.80</b>
ख.	करेत्तर राजस्व		
	ब्याज प्राप्ति	1,645.20*	1,464.09
	पुलिस	159.05	90.25
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	167.69	155.02
	विविध सामान्य सेवाएं	189.05	102.75
	शिक्षा, खेलकूद तथा सांस्कृतिक	366.52	677.73
	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	301.21	472.53
	जलापूर्ति और सफाई	48.69	66.92
	शहरी विकास	1,559.63	1,284.24
	वानिकी और वन्य जीवन	23.03	21.27
	मुख्य सिंचाई	591.01	334.60
	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	810.77	834.40
	सड़क परिवहन	1,368.50	1,333.43
	अन्य	872.66	1,905.39
	<b>जोड़- ख</b>	<b>8,103.01</b>	<b>8,742.62</b>

\* ब्याज की पुस्तकीय समायोजन की राशि ₹ 1,361.36 करोड़ सम्मिलित है।

### 3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि) - जारी

#### II भारत सरकार से अनुदान

विवरण		वास्तविक	
		2023-24	2022-23
ग.	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		
ग.1	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	2,768.56	2,919.81
ग.2	वित्त आयोग अनुदान	1,973.33	1,617.56
ग.3	विधानमंडलों के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य अनुदान/हस्तान्तरण	3,613.49	2,575.89
जोड़- ग		8,355.38	7,113.26
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क + ख + ग)		1,01,314.86(क)	89,194.68

(क) विवरणी संख्या 14 में ₹ 0.02 करोड़ का अन्तर पूर्णांक के कारण है।

### 3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि) - समाप्त

#### III पूंजीगत लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ

विवरण		(₹ करोड़ में)	
		वास्तविक	
		2023-24	2022-23
घ.	पूंजीगत प्राप्तियाँ विनिवेश प्राप्तियाँ	114.83	73.91
	<b>जोड़-घ.</b>	<b>114.83</b>	<b>73.91</b>
ड.	लोक ऋण प्राप्तियाँ आंतरिक ऋण बाजार ऋण भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगी बॉन्ड वित्तीय संस्थाओं से ऋण अन्य ऋण	47,500.00 25,994.12 .. 13,098.41 383.13	45,158.00 21,134.24 .. 12,865.82 220.93
	<b>जोड़-ड.</b>	<b>86,975.66</b>	<b>79,378.99</b>
च.	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम राज्य योजना स्कीम के लिए कर्ज  विधायिका योजना वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अन्य कर्ज	33.39  1,711.77	..  1,270.30
	<b>जोड़-च.</b>	<b>1,745.16</b>	<b>1,270.30</b>
छ.	राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम (वसूलियाँ) <sup>1</sup>	301.15	237.75
	<b>आकस्मिक निधि की कुल प्राप्तियाँ (क + ख + ग + घ + ड + च + छ)</b>	<b>1,90,451.66(क)</b>	<b>1,70,155.63</b>

1. विस्तृत विवरण खण्ड-I की विवरणी 7 व खण्ड-II की विवरणी 18 में है।

(क) 31 मार्च 2024 को वास्तविक प्राप्तियों में ₹ 0.02 करोड़ का अन्तर पूर्णांक के कारण है।

#### 4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क - कार्य अनुसार व्यय					
					(₹ करोड़ में)
विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	जोड़	
<b>क.</b>	<b>सामान्य सेवाएं-</b>				
<b>क.1</b>	<b>राज्य के अंग-</b>	<b>1,663.01</b>	..	..	<b>1,663.01</b>
	संसद/राज्य/संघ क्षेत्रों के विधान मण्डल	81.51	..	..	81.51
	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ क्षेत्रों के प्रशासक	19.43	..	..	19.43
	मन्त्री परिषद्	173.82	..	..	173.82
	न्याय प्रशासन	1,329.34	..	..	1,329.34
	निर्वाचन	58.91	..	..	58.91
<b>क.2</b>	<b>राज्य वित्तीय सेवाएं</b>	<b>762.10</b>	..	..	<b>762.10</b>
	भू-राजस्व	226.87	..	..	226.87
	स्टाम्प और पंजीकरण	133.53	..	..	133.53
	राज्य उत्पाद शुल्क	56.88	..	..	56.88
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	248.80	..	..	248.80
	वाहनों पर कर	85.19	..	..	85.19
	आय और व्यय पर कर संचय	0.29	..	..	0.29
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	9.00	..	..	9.00
	अन्य राज वित्तीय सेवाएं	1.54	..	..	1.54
<b>क.3</b>	<b>ब्याज अदायगियां एवं ऋण सेवा</b>	<b>21,904.97</b>	..	..	<b>21,904.97</b>
	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	300.00	..	..	300.00
	ब्याज अदायगियां	21,604.97	..	..	21,604.97
<b>क.4</b>	<b>प्रशासनिक सेवाएं-</b>	<b>7,570.61</b>	<b>640.61</b>	..	<b>8,211.22</b>
	लोक सेवा आयोग	166.41	..	..	166.41
	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	296.02	..	..	296.02
	जिला प्रशासन	321.05	..	..	321.05
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	96.72	..	..	96.72
	पुलिस	5,804.30	248.48	..	6,052.78
	जेल	314.12	..	..	314.12
	आपूर्ति और निपटान	4.61	..	..	4.61
	लेखन सामग्री और मुद्रण	17.53	..	..	17.53
	लोक निर्माण-कार्य	239.04	392.13	..	631.17
	सतर्कता	58.28	..	..	58.28
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	252.53	..	..	252.53

#### 4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि) - जारी

क - कार्य अनुसार व्यय					
					(₹ करोड़ में)
	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	जोड़
<b>क</b>	<b>सामान्य सेवाएं - समाप्त</b>				
<b>क.5</b>	पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं-	<b>13,497.58</b>	..	..	<b>13,497.58</b>
	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	13,496.70	..	..	13,496.70
	विविध सामान्य सेवाएं	0.88	..	..	0.88
	<b>जोड़ - क. सामान्य सेवायें</b>	<b>45,398.27</b>	<b>640.61</b>	..	<b>46,038.88</b>
<b>ख</b>	<b>सामाजिक सेवाएं-</b>				
<b>ख.1</b>	<b>शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति-</b>	<b>16,816.61</b>	<b>574.52</b>	<b>1,202.45</b>	<b>18,593.58</b>
	सामान्य शिक्षा	16,095.53	482.46	792.00	17,369.99
	तकनीकी शिक्षा	365.25	15.49	410.45	791.19
	खेलकूद और युवा सेवाएं	327.86	69.97	..	397.83
	कला और संस्कृति	27.97	6.60	..	34.57
<b>ख.2</b>	<b>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण-</b>	<b>6,086.42</b>	<b>1,154.36</b>	<b>765.69</b>	<b>8,006.47</b>
	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	5,788.09	1,154.36	765.69	7,708.14
	परिवार कल्याण	298.33	..	..	298.33
<b>ख.3</b>	<b>जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास-</b>	<b>6,427.66</b>	<b>2,589.44</b>	..	<b>9,017.10</b>
	जलापूर्ति और सफाई	2,708.76	1,915.46	..	4,624.22
	आवास	418.72	71.98	..	490.70
	शहरी विकास	3,300.18	602.00	..	3,902.18
<b>ख.4</b>	<b>सूचना और प्रसारण-</b>	<b>333.57</b>	<b>60.49</b>	..	<b>394.06</b>
	सूचना और प्रचार	333.57	60.49	..	394.06
<b>ख.5</b>	<b>अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-</b>	<b>626.12</b>	<b>6.23</b>	..	<b>632.35</b>
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	626.12	6.23	..	632.35
<b>ख.6</b>	<b>श्रम और श्रम कल्याण -</b>	<b>866.44</b>	..	..	<b>866.44</b>
	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	866.44	..	..	866.44
<b>ख.7</b>	<b>समाज कल्याण और पोषण-</b>	<b>12,607.06</b>	<b>37.61</b>	..	<b>12,644.67</b>
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	11,438.17	37.61	..	11,475.78
	पोषण	402.57	..	..	402.57
	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	766.32	..	..	766.32

#### 4. व्यय की विवरणी(समेकित निधि) - जारी

क - कार्य अनुसार व्यय						
					(₹ करोड़ में)	
	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	जोड़	
<b>ख</b> <b>ख.8</b>	सामाजिक सेवाएं - समाप्त					
	अन्य-	13.65	15.29	..	28.94	
	अन्य सामाजिक सेवाएं	4.67	15.29	..	19.96	
	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं	8.98	..	..	8.98	
	<b>जोड़- ख. सामाजिक सेवाएं</b>	<b>43,777.53</b>	<b>4,437.94</b>	<b>1,968.14</b>	<b>50,183.61</b>	
<b>ग.</b> <b>ग.1</b>	आर्थिक सेवाएं-					
	कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप-	4,909.65	2,997.71	1,186.20	9,093.56	
	कृषि कार्य	1,721.80	45.30	383.12	2,150.22	
	भू और जल संरक्षण	145.46	..	..	145.46	
	पशुपालन	837.81	40.78	137.96	1,016.55	
	डेयरी विकास	0.39	..	..	0.39	
	मत्स्य पालन	130.55	0.18	..	130.73	
	वानिकी और वन्य जीवन	372.98	..	..	372.98	
	खाद्य भण्डारण और भण्डारागार	985.22	2,880.15	24.76	3,890.13	
	कृषि संबंधी अनुसंधान और शिक्षा	..	..	608.35	608.35	
	सहकारिता	713.85	31.30	32.01	777.16	
	अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	1.59	..	..	1.59	
	<b>ग.2</b>	<b>ग्रामीण विकास-</b>	<b>3,658.13</b>	<b>1,232.16</b>	<b>..</b>	<b>4,890.29</b>
		ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	128.36	..	..	128.36
ग्रामीण रोजगार		173.46	..	..	173.46	
भूमि सुधार		34.53	..	..	34.53	
<b>ग.3</b>	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,321.78	1,232.16	..	4,553.94	
	<b>सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण-</b>	<b>2,615.02</b>	<b>2,623.65</b>	<b>..</b>	<b>5,238.67</b>	
	मुख्य सिंचाई	1,721.86	1,013.23	..	2,735.09	
	मध्यम सिंचाई	222.07	770.45	..	992.52	
	लघु सिंचाई	6.45	15.92	..	22.37	
	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	824.05	..	824.05	
कमाण्ड क्षेत्र विकास	664.64	..	..	664.64		

#### 4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि) - जारी

क - कार्य अनुसार व्यय					
					(₹ करोड़ में)
ग.	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	जोड़
ग.	आर्थिक सेवाएं - समाप्त				
ग.4	ऊर्जा- विद्युत	7,953.07	234.04	..	8,187.11
	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	7,144.85	234.04	..	7,378.89
	उद्योग और खनिज-	808.22	..	..	808.22
ग.5	ग्राम और लघु उद्योग	797.30	183.19	219.33	1,199.82
	उपभोक्ता उद्योग	584.71	77.98	3.33	666.02
	उद्योग	..	0.20	216.00	216.20
	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	132.76	105.01	..	237.77
	उद्योग	79.83	..	..	79.83
ग.6	परिवहन	3,929.14	3,355.45	584.38	7,868.97
	सिविल विमानन	8.59	430.51	..	439.10
	सड़कें और पुल	1,346.26	2,651.00	..	3,997.26
	सड़क परिवहन	2,574.29	273.94	584.38	3,432.61
ग.7	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	37.57	..	..	37.57
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	24.12	..	..	24.12
	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	13.45	..	..	13.45
ग.8	सामान्य आर्थिक सेवाएं-	120.04	216.19	..	336.23
	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	35.39	..	..	35.39
	पर्यटन	53.80	74.15	..	127.95
	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	22.72	..	..	22.72
	सार्वजनिक आपूर्ति	0.24	..	..	0.24
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	7.89	142.04	..	149.93
	<b>जोड़- ग आर्थिक सेवाएं</b>	<b>24,019.92</b>	<b>10,842.39</b>	<b>1,989.91</b>	<b>36,852.22</b>
घ.	सहायता अनुदान और अंशदान- स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	..	..	..	..
	<b>जोड़ - घ सहायतानुदान और अंशदान</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>

#### 4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि) - जारी

क - कार्य अनुसार व्यय					
					(₹ करोड़ में)
विवरण		राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	जोड़
ड.	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्जे	..	..	97.17	97.17
	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्जे	..	..	97.17	97.17
च.	लोक ऋण	..	..	59,194.21	59,194.21
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	..	..	58,984.20	58,984.20
	केन्द्रीय सरकार से कर्जे और पेशगियाँ	..	..	210.01	210.01
छ.	अन्तर्राज्यीय निपटारा	..	..	..	..
ज.	आकस्मिक निधि में विनियोजन	..	..	..	..
	<b>जोड़- समेकित निधि व्यय</b>	<b>1,13,195.72</b>	<b>15,920.94</b>	<b>63,249.43</b>	<b>1,92,366.09(क)</b>

(क) वास्तविक कुल खर्चा ₹ 0.03 करोड़ का अन्तर पूर्णांक के कारण है।

#### 4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि) - जारी

ख. प्रकृति अनुसार व्यय									
(₹ करोड़ में)									
व्यय का उद्देश्य	2023-24			2022-23			2021-22		
	राजस्व	पूँजीगत	जोड़	राजस्व	पूँजीगत	जोड़	राजस्व	पूँजीगत	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ऋण	..	63,249.43(क)	63,249.43	..	55,483.33	55,483.33	..	26,439.22	26,439.22
ब्याज	22,650.41	315.92	22,966.33	21,063.67	344.25	21,407.92	19,271.18	301.45	19,572.63
वेतन	19,573.51	830.43(ख)	20,403.94	19,132.94	867.29	20,000.23	19,052.39	1,045.15	20,097.54
पेंशन	20,471.67	1.76	20,473.43	18,560.38	1.49	18,561.87	16,973.63	1.23	16,974.86
सहायतानुदान	12,139.09(ग)	..	12,139.09	11,673.48	..	11,673.48	12,445.81	..	12,445.81
अग्रिम	100.06	12,380.78	12,480.84	100.00	10,380.99	10,480.99	89.00	12,193.91	12,282.91
मुख्य कार्य	0.78	11,157.22	11,158.00	..	9,409.39	9,409.39	0.32	10,201.87	10,202.19
वित्तीय सहायता	10,718.41	..	10,718.41	9,359.92	..	9,359.92	9,535.49	..	9,535.49
मंहगाई भत्ता	7,082.12	..	7,082.12	5,869.49	..	5,869.49	4,172.56	..	4,172.56
योगदान	2,343.58	..	2,343.58	1,969.84	..	1,969.84	1,569.62	..	1,569.62
अनुबंधित सेवाएँ	2,435.79	..	2,435.79	1,702.66	..	1,702.66	1,292.70	..	1,292.70
निवेश	300.00	547.17	847.17	300.00	1,242.99	1,542.99	500.00	283.54	783.54
क्रय	73.60	316.63	390.23	1,031.77	386.60	1,418.37	109.68	24.03	133.71
अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक	1,081.77	110.67	1,192.44	1,319.42	66.44	1,385.86	1,094.95	73.02	1,167.97
उपदान	1,496.00	..	1,496.00	1,361.31	..	1,361.31	1,236.77	..	1,236.77
ऊर्जा प्रभार	1,601.35	..	1,601.35	1,324.55	..	1,324.55	1,377.21	..	1,377.21
रख-रखाव	1,611.79	2.65	1,614.44	1,315.00	..	1,315.00	1,277.35	..	1,277.35
मानदेय	878.24	..	878.24	1,108.55	..	1,108.55	1,133.32	..	1,133.32
अन्य चार्ज	1,225.12	0.01	1,225.13	1,054.66	0.15	1,054.81	990.59	0.33	990.92
मजदूरी	710.41	..	710.41	962.34	..	962.34	794.91	..	794.91
लघु कार्य	831.85	..	831.85	920.20	..	920.20	931.60	0.40	932.00
पेट्रोल तेल तथा तैलीय पदार्थ	915.62	..	915.62	772.55	..	772.55	639.62	..	639.62
सामग्री और आपूर्ति	1,045.74	..	1,045.74	746.79	..	746.79	1,135.47	..	1,135.47
बेरोजगारी भत्ता	306.09	..	306.09	639.10	..	639.10	688.94	..	688.94
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	607.36	..	607.36	569.08	..	569.08	489.06	..	489.06
एक्स ग्रेसिया	535.28	..	535.28	555.81	..	555.81	517.74	..	517.74
छात्रवृत्ति एवं वजीफा	578.31	..	578.31	549.47	..	549.47	321.01	..	321.01
किराया दर एवं कर	411.20	..	411.20	465.73	..	465.73	245.83	..	245.83
अवकाश यात्रा रियायत	512.75	..	512.75	443.99	..	443.99	215.86	..	215.86
प्रतिपूर्ति	319.09	54.13	373.22	296.52	39.36	335.88	70.21	62.09	132.30
भण्डार एवं उपकरण	141.58	..	141.58	303.09	..	303.09	230.79	0.04	230.83
कार्यालय व्यय	234.62	..	234.62	219.46	..	219.46	204.83	..	204.83
फीडिंग/कैस	226.15	..	226.15	216.91	..	216.91	249.92	..	249.92
डोल्ज़	133.80	..	133.80	173.92	..	173.92	111.91	..	111.91

(क) ऋण तथा अग्रिम (₹ 4,055.22 करोड़) तथा लोक ऋण (₹ 59,194.21 करोड़) शामिल हैं।

(ख) इसमें राजस्व (मुख्य शीर्ष 2408) से पूँजीगत (मुख्य शीर्ष 4408) में हस्तांतरित स्थापन व्यय तथा सिंचाई परियोजनाओं के अनुपातिक शुल्क शामिल हैं।

(ग) दो व्यय के मानक प्रयोजन - सामान्य सहायतानुदान (₹ 7,639.79 करोड़) और पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 4,499.30 करोड़) शामिल हैं।

#### 4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि) - समाप्त

ख. प्रकृति अनुसार व्यय									
(₹ करोड़ में)									
व्यय का उद्देश्य	2023-24			2022-23			2021-22		
	राजस्व	पूँजीगत	जोड़	राजस्व	पूँजीगत	जोड़	राजस्व	पूँजीगत	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मोटर वाहन	175.00	27.85	202.85	146.46	2.30	148.76	71.33	..	71.33
यात्रा व्यय	133.34	..	133.34	142.14	..	142.14	129.77	..	129.77
ऐच्छिक अनुदान	140.14	..	140.14	138.34	..	138.34	126.49	..	126.49
व्यवसायिक एवं विशिष्ट सेवा	133.07	..	133.07	124.35	..	124.35	129.29	..	129.29
कम्प्यूटरीकरण	147.50	..	147.50	117.38	..	117.38	129.26	..	129.26
विज्ञापन और प्रचार	199.16	..	199.16	114.20	..	114.20	114.77	..	114.77
प्रवीणता और विशेष सेवाएँ	205.50	..	205.50	102.71	..	102.71	80.29	..	80.29
भवन	..	73.41	73.41	..	88.72	88.72	..	19.11	19.11
भूमि	..	31.01	31.01	..	88.38	88.38	..	46.97	46.97
उपहार और पुरस्कार	111.00	..	111.00	88.32	..	88.32	21.30	..	21.30
गुप्त सेवाएं	49.78	..	49.78	68.37	..	68.37	52.23	..	52.23
ह्रास	50.16	..	50.16	50.34	..	50.34	40.24	..	40.24
निर्वाचन व्यय	15.41	..	15.41	30.54	..	30.54	14.59	..	14.59
अनुसंधान एवं विकास	0.72	133.55	134.27	1.10	28.70	29.80	1.18	24.64	25.82
प्रशिक्षण	25.11	..	25.11	22.01	..	22.01	15.80	..	15.80
मशीनरी तथा सामान	46.08	79.88	125.96	12.22	4.77	16.99	7.04	2.75	9.79
आतिथ्य / मनोरंजन खर्च	15.70	..	15.70	13.23	..	13.23	10.53	..	10.53
जल शुल्क	234.33	..	234.33	7.86	..	7.86	7.09	..	7.09
प्रतिवद्धता शुल्क	8.51	..	8.51	7.46	..	7.46	11.21	..	11.21
फर्नीचर	7.36	0.70	8.06	4.78	1.07	5.85	1.02	1.14	2.16
प्रकाशन	6.66	..	6.66	5.54	..	5.54	3.11	..	3.11
वर्दी/पोशाक	6.27	..	6.27	0.22	..	0.22	13.61	..	13.61
अन्य	12.34	..	12.34	10.84	..	10.84	6.28	..	6.28
उचंत्	(-469.35)	(-0.04)	(-469.39)	(-437.73)	(-1.25)	(-438.98)	(-515.45)	..	(-515.45)
वसूलियाँ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
घटायें	1,351.23	10,142.78	11,494.01	447.06	11,286.68	11,733.74	1,016.21	13,236.11	14,252.32
<b>जोड़ -</b>	<b>1,13,195.70</b>	<b>79,170.38</b>	<b>1,92,366.08</b>	<b>1,06,406.22</b>	<b>67,148.29</b>	<b>1,73,554.51</b>	<b>98,425.04</b>	<b>37,484.78</b>	<b>1,35,909.82</b>

(क) वास्तविक कुल खर्चा ₹ 0.02 करोड़ का अन्तर पूर्णांक के कारण है।

### 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
(₹ करोड़ में)						
<b>क.</b>	<b>सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>					
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	10.10	..	10.10	..
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	195.62	2,537.04	248.48	2,785.52	27.02
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	..	11.51	..	11.51	..
4059	लोक निर्माण-कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	357.19	4,023.94	392.13	4,416.07	9.78
	<b>जोड़-क सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>	<b>552.81</b>	<b>6,582.59</b>	<b>640.61</b>	<b>7,223.20</b>	<b>15.88</b>
<b>ख.</b>	<b>सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-</b>					
(क)	<b>शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा</b>					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	389.02	4,073.71	574.52	4,648.23	47.68
	<b>जोड़-(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा</b>	<b>389.02</b>	<b>4,073.71</b>	<b>574.52</b>	<b>4,648.23</b>	<b>47.68</b>
(ख)	<b>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा--</b>					
4210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1,381.89	5,033.36	1,154.36	6,187.72	(-)16.47
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	..	40.81	..	40.81	..
	<b>जोड़-(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा</b>	<b>1,381.89</b>	<b>5,074.17</b>	<b>1,154.36</b>	<b>6,228.53</b>	<b>(-)16.47</b>

### 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी - जारी

मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
(₹ करोड़ में)						
ख.	सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-					
	(ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-					
4215	जलापूर्ति और सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,049.75	18,513.74	1,915.46	20,429.20	82.47
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	58.57	966.52	71.98	1,038.50	22.90
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	739.88	8,558.93	602.00	9,160.93	(-)18.64
	<b>जोड़-(ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास का पूंजीगत लेखा</b>	<b>1,848.20</b>	<b>28,039.19</b>	<b>2,589.44</b>	<b>30,628.63</b>	<b>40.11</b>
(घ)	सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा					
4220	सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत परिव्यय	22.22	293.16	60.49	353.65	172.23
	<b>जोड़-(घ) सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा</b>	<b>22.22</b>	<b>293.16</b>	<b>60.49</b>	<b>353.65</b>	<b>172.23</b>
(ङ.)	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.45	69.31	6.23	75.54	1284.44
	<b>जोड़-(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा</b>	<b>0.45</b>	<b>69.31</b>	<b>6.23</b>	<b>75.54</b>	<b>1284.44</b>
(च)	सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा-					
4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	81.33	768.82	37.61	806.43	(-)53.76
	<b>जोड़-(च) सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा</b>	<b>81.33</b>	<b>768.82</b>	<b>37.61</b>	<b>806.43</b>	<b>(-)53.76</b>

### 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी - जारी

मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
(₹ करोड़ में)						
ख.	सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-					
(छ)	अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-					
	4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	32.70	1,460.33	15.29	1,474.82(क)	(-)53.24
	<b>जोड़-(छ) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>	<b>32.70</b>	<b>1,460.33</b>	<b>15.29</b>	<b>1,474.82(क)</b>	<b>(-)53.24</b>
	<b>जोड़-ख सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>	<b>3,755.81</b>	<b>39,778.69</b>	<b>4,437.94</b>	<b>44,215.83(क)</b>	<b>18.16</b>
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-					
(क)	कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा-					
	4401 कृषि कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	31.97	42.38	45.30	87.68	41.70
	4402 भूमि और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	..	1.37	..	1.37	..
	4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	7.92	88.28	40.78	129.06	414.90
	4404 डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	..	18.47	..	18.40(ख)	..
	4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	..	3.92	0.18	4.10	..
	4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	..	1.57	..	1.57	..
	4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागार पर पूंजीगत परिव्यय	(-)240.52	7,980.64	2,880.15	10,860.79	1297.47
	4416 कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	..	0.53	..	0.53	..
	4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	112.12	871.67	31.30	806.09(ग)	(-)72.08
	4435 अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	..	(-)2.08	..	(-)6.06(घ) (ड)	..
	<b>जोड़-(क)कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा</b>	<b>(-)88.51</b>	<b>9,006.75</b>	<b>2,997.71</b>	<b>11,903.53(च)</b>	<b>(-)3486.86</b>

(क) ₹ 0.80 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/ निवृत्ति के कारण की गई।

(ग) ₹ 96.88 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/ निवृत्ति के कारण की गई।

(ड) ₹ 3.98 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/ निवृत्ति के कारण की गई।

(ख) ₹ 0.07 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/ निवृत्ति के कारण की गई।

(घ) माइनस आंकड़े खर्च से अधिक प्राप्तियों तथा वसूलियों के कारण थे।

(च) ₹ 100.93 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/ निवृत्ति के कारण की गई।

### 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी - जारी

मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
(₹ करोड़ में)						
<b>ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - जारी</b>						
<b>(ख) ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा</b>						
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम का पूंजीगत परिव्यय	407.27	636.82	1,232.16	1,868.98	202.54
	<b>जोड़-(ख) ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा</b>	<b>407.27</b>	<b>636.82</b>	<b>1,232.16</b>	<b>1,868.98</b>	<b>202.54</b>
<b>(घ) सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा</b>						
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	869.69	9,332.90	1,013.23	10,346.13	16.50
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	754.68	9,283.30	770.45	10,053.75	2.09
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2.74	553.45	15.92	569.37	481.02
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	544.08	3,767.46	824.05	4,591.51	51.46
	<b>जोड़-(घ) सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा</b>	<b>2,171.19</b>	<b>22,937.11</b>	<b>2,623.65</b>	<b>25,560.76</b>	<b>20.84</b>
<b>(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-</b>						
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8.00	29,332.88	234.04	29,566.92	2825.50
4810	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	8.28	..	8.28	..
	<b>जोड़-(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा</b>	<b>8.00</b>	<b>29,341.16</b>	<b>234.04</b>	<b>29,575.20</b>	<b>2825.50</b>
<b>(च) उद्योग और खनिजों का पूंजीगत लेखा-</b>						
4851	ग्राम और लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	9.53	67.00	77.98	144.09(क)	718.26
4854	सीमेंट और अधातु खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.03	..	0.03	..
4858	इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.41	..	0.41	..
4859	दूर संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	148.00	159.95	..	159.95	(-)100.00
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.20	46.20	0.20	34.21(ख)	..

(क) अंतिम शेष में ₹ 0.89 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/निवृत्ति के कारण थी।

(ख) अंतिम शेष में ₹ 12.19 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/निवृत्ति के कारण थी।

### 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी - जारी

मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
(₹ करोड़ में)						
<b>ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - जारी</b>						
<b>(च) उद्योग और खनिजों का पूंजीगत लेखा-</b>						
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.09	..	0.09	..
4885	उद्योग और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	..	297.43	105.01	402.44	100.00
<b>जोड़-(च) उद्योग और खनिजों का पूंजीगत लेखा</b>		<b>157.73</b>	<b>571.11</b>	<b>183.19</b>	<b>741.22 (क)</b>	<b>16.14</b>
<b>(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा-</b>						
5053	सिविल विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	411.00	928.27	430.51	1,358.78	4.75
5054	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	3,645.20	26,669.49	2,651.00	29,320.49	(-)27.27
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	335.19	2,052.01	273.94	2,325.95	(-)18.27
<b>जोड़-(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा</b>		<b>4,391.39</b>	<b>29,649.77</b>	<b>3,355.45</b>	<b>33,005.22</b>	<b>(-)23.59</b>
<b>(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा</b>						
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	..	58.85	..	58.85	..
<b>जोड़-(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा</b>		<b>..</b>	<b>58.85</b>	<b>..</b>	<b>58.85</b>	<b>..</b>
<b>(ण) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>						
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	78.86	508.96	74.15	583.11	(-)5.97
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	230.41	1,532.79	142.04	1,674.83	(-)38.35
<b>जोड़-(ण) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>		<b>309.27</b>	<b>2,041.75</b>	<b>216.19</b>	<b>2,257.94</b>	<b>(-)30.10</b>
<b>जोड़-ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>		<b>7,356.34</b>	<b>94,243.32</b>	<b>10,842.39</b>	<b>1,04,971.70 (ख)</b>	<b>47.39</b>
<b>कुल योग</b>		<b>11,664.96</b>	<b>140,604.60</b>	<b>15,920.94</b>	<b>1,56,410.73 (ग) (घ)</b>	<b>36.49</b>

(क) अंतिम शेष में ₹ 13.08 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/निवृत्ति के कारण थी।

(ख) अंतिम शेष में ₹ 114.01 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/निवृत्ति के कारण थी।

(ग) अंतिम शेष में ₹ 114.81 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/निवृत्ति के कारण थी।

(घ) वर्ष 2023-24 तक के वास्तविक प्रगतिशील व्यय में ₹ 0.02 करोड़ का अंतर पूर्णांकन के कारण है।



## 6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

### (1) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण \*

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2023 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान वापसियां	31 मार्च 2024 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	लोक ऋण व अन्य दायित्वों से प्रतिशतता	
<b>क लोक-ऋण</b>					<b>राशि</b>	<b>प्रतिशत</b>	
					(₹ करोड़ में)		
<b>6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण</b>							
बाजार कर्जे	2,19,185.55	47,500.00	13,946.18	2,52,739.37	33,553.82	15.31	74.69
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	..	25,994.12	25,994.12	..	..	..	..
बन्ध-पत्र (बॉण्ड)	17,300.00	..	5,190.00	12,110.00	(-)5,190.00	(-)30.00	3.58
वित्तीय संस्थानों से कर्जे	9,266.97	13,098.41	12,685.38	9,680.00	413.03	4.46	2.86
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	6,356.48	..	1,004.39	5,352.09	(-)1,004.39	(-)15.80	1.58
अन्य कर्जे	671.78	383.13	164.13	890.78	219.00	32.60	0.26
<b>जोड़- 6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण</b>	<b>2,52,780.78</b>	<b>86,975.66</b>	<b>58,984.20</b>	<b>2,80,772.24</b>	<b>27,991.46</b>	<b>11.07</b>	<b>82.97</b>
<b>6004 केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा पेशगियां</b>	14,290.07	1,745.16	210.01	15,825.22	1,535.15	10.74	4.68
<b>क. कुल- लोक- ऋण</b>	<b>2,67,070.85</b>	<b>88,720.82</b>	<b>59,194.21</b>	<b>2,96,597.46</b>	<b>29,526.61</b>	<b>11.06</b>	<b>87.65</b>

\* विस्तृत लेखे विवरणी 17 व 21 में हैं।

## 6- उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी - जारी

### (1) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण<sup>(1)</sup>

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2023 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान वापसियां	31 मार्च 2024 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)	लोक ऋण व अन्य दायित्वों से प्रतिशतता	
<b>ख अन्य दायित्व</b>					<b>राशि</b>	<b>प्रतिशत</b>	
					(₹ करोड़ में)		
राज्य भविष्य निधि	18,629.56	3,448.17	3,351.64	18,726.09	96.53	0.52	5.53
बीमा और पेंशन निधियां	34.26	35.87	33.97	36.16	1.90	5.55	0.01
ब्याज वाली आरक्षित निधियां	6,554.18	1,886.37	535.02	7,905.53	1,351.35	20.62	2.34
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	469.29	636.89	560.54	545.64	76.35	16.27	0.16
ब्याज वाली जमा	442.63	2,839.31	2,795.80	486.14	43.51	9.83	0.14
बिना ब्याज वाली जमा	11,667.62	55,044.72	52,641.10	14,071.24	2,403.62	20.60	4.16
<b>जोड़- अन्य दायित्व</b>	<b>37,797.54</b>	<b>63,891.33</b>	<b>59,918.07</b>	<b>41,770.80</b>	<b>3,973.26</b>	<b>10.51</b>	<b>12.35</b>
<b>जोड़- क लोक-ऋण व अन्य दायित्व</b>	<b>3,04,868.39</b>	<b>1,52,612.15</b>	<b>1,19,112.28</b>	<b>3,38,368.26(क)</b>	<b>33,499.87</b>	<b>10.99</b>	<b>100.00</b>

(1) विस्तृत लेखे विवरणी 17 व 21 में हैं।

(क) 31 मार्च 2024 में वास्तविक अन्तिम शेष ₹ 0.03 करोड़ का अन्तर पूर्णांक के कारण है।

## 6- उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी - जारी

### व्याख्यात्मक टिप्पणियां

#### 1. परिशोधन व्यवस्थाएं

राज्य सरकार ने निम्नलिखित कर्जों की वापसी के लिए परिशोधन व्यवस्थाएं की हैं:-

क्र.स. निक्षेप निधि का नाम	1 अप्रैल 2023 को शेष	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान निकासी	31 मार्च 2024 को अन्त शेष
(₹ करोड़ में)				
1. संयुक्त राज्य पंजाब द्वारा भाखड़ा नांगल परियोजना के लिए प्राप्त कर्ज	0.22	..	..	0.22
2. भारत सरकार के समेकित खुले बाजार उधारों से प्राप्त कर्ज	1.91	..	..	1.91
3. बाजार कर्जों का परिशोधन	1,692.34	429.94	..	2,122.28
<b>जोड़</b>	<b>1,694.47</b>	<b>429.94</b>	<b>..</b>	<b>2,124.41</b>

निक्षेप निधि में कुल शेष ₹ 2,124.41 में से ₹ 2,122.28 करोड़ भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किए गए।

2. **लघु बचत निधि से ऋण:** डाक घरों में एकत्रित 'लघु बचत योजनाओं' तथा 'लोक भविष्य निधि' में से ऋण राज्य व केन्द्र सरकारों के बीच 3:1 के अनुपात में विभाजित होते हैं। वर्ष 1999-2000 में इस उद्देश्य के लिए लघु बचत संग्रहों में से ऋण जारी करने हेतु एक अलग निधि 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' के नाम से सृजित की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान शून्य ऋण प्राप्त किए गए तथा ₹ 1,004.39 करोड़ अदा किए गए थे। वर्ष के अन्त में बकाया शेष ₹ 5,352.09 करोड़ था, जोकि 31 मार्च 2024 को राज्य सरकार के सकल लोक ऋण तथा कुल अन्य देयताओं का 1.58 प्रतिशत था।
3. **राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण:** इस शीर्ष के अन्तर्गत खुले बाजार में एकत्रित कर्जों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम आदि से प्राप्त कर्जों से सम्बन्धित लेन-देन अभिलिखित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ₹ 47,500.00 करोड़ के सैंतीस बाजार कर्ज (वर्ष 2036 में ₹ 2,000.00 करोड़ 7.66 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,000.00 करोड़ 7.47 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,000.00 करोड़ 7.49 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 2,000.00 करोड़ 7.77 प्रतिशत ब्याज दर पर; वर्ष 2035 में ₹ 4,000.00 करोड़ 7.49 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 2,000.00 करोड़ 7.45 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,000.00 करोड़ 7.38 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1500.00 करोड़ 7.42 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,000.00 करोड़ 7.67 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,000.00 करोड़ 7.72 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 2,000.00 करोड़ 7.75 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,000.00 करोड़ 7.66 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,000.00 करोड़ 7.59 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,000.00 करोड़ 7.48 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,000.00 करोड़ 7.44 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 2,000.00 करोड़ 7.45 प्रतिशत ब्याज दर पर और ₹ 1,000.00 करोड़ 7.47 प्रतिशत ब्याज दर पर; वर्ष 2033 में ₹ 1,000.00 करोड़ 7.44 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,000.00 करोड़ 7.72 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,500.00 करोड़ 7.71 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 500.00 करोड़ 7.53 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,000.00 करोड़ 7.65 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,000.00 करोड़ 7.45 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 2,000.00 करोड़ 7.47 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,500 करोड़ 7.44 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,500.00 करोड़ 7.49 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,000.00 करोड़ 7.40 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,000.00 करोड़ 7.32 प्रतिशत ब्याज दर पर; ₹ 1,750.00 करोड़ 7.36 प्रतिशत ब्याज दर पर; और ₹ 1,000.00 करोड़ 7.35 प्रतिशत ब्याज दर पर; वर्ष 2032 में ₹ 1,000.00 करोड़ 7.44 प्रतिशत ब्याज दर पर; वर्ष 2031 में ₹ 750.00 करोड़ 7.34 प्रतिशत ब्याज दर पर और ₹ 1,000.00 करोड़ 7.39 प्रतिशत ब्याज दर पर; वर्ष 2030 में ₹ 1,000.00 करोड़ 7.50 प्रतिशत ब्याज दर पर, वर्ष 2029 में ₹ 1,000.00 करोड़ 7.29 प्रतिशत ब्याज दर पर और ₹ 1,000.00 करोड़ 7.39 प्रतिशत ब्याज दर पर, वर्ष 2027 में ₹ 500.00 करोड़ 7.16 प्रतिशत ब्याज दर से चुकाया जाना है) लिए गए। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा समस्त राशि नगद ली गई। 1967-68 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान परिपक्व कर्जों के प्रति अदा किया कुल भुगतान ₹ 50,261.32 करोड़ था। परिपक्व कर्जों के विरुद्ध बकाया ₹ 0.02 करोड़ देयता है।

## 6- उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी - समाप्त

बकाया बाजार कर्जों के ब्यौरे विवरणी संख्या 17 के अनुबन्ध में दिए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए कर्ज समस्त न्यूनतम रोकड़ शेषों में कमी से सम्बन्धित समायोजनों और पूर्णतया अस्थायी प्रकार के उधारों, जैसे साधारण और विशेष अर्थोपाय पेशगियां और बैंक ओवर ड्राफ्ट को दर्शाते हैं। लेन-देनों के ब्यौरे, विवरणी-2 के अनुबन्ध के नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणियों में दिए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार से कर्ज और पेशगियां- भारत सरकार से प्राप्त कर्जों और पेशगियों के ब्यौरे विवरणी संख्या 17 में दिए गए हैं।

वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान ब्याज प्रभासों के रूप में राजस्व से पूरी की गई राशि नीचे दिए गए हैं:-

	2023-24	2022-23	निवल वृद्धि (+)/ कमी(-)
		(₹ करोड़ में)	
<b>वर्ष के अन्त में सकल ऋण और अन्य दायित्व</b>	<b>3,38,368.26</b>	<b>3,04,868.39</b>	<b>33,499.87</b>
(i) सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज-			
(क) लोक ऋण और अल्प बचतों, भविष्य निधियों पर	20,939.30	19,449.50	1,489.80
(ख) अन्य दायित्वों पर	665.67	646.07	19.60
<b>जोड़</b>	<b>21,604.97</b>	<b>20,095.57</b>	<b>1,509.40</b>
(ii) घटाएं-			
सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों पर प्राप्त ब्याज	181.60	74.97	106.63
रोकड़ शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज	6.19	4.36	1.83
<b>(iii) ब्याज प्रभासों की निवल राशि</b>	<b>21,417.18</b>	<b>20,016.24</b>	<b>1,400.94</b>
(iv) राजस्व प्राप्तियों से (i) सकल ब्याज मद की प्रतिशतता	21.32	22.53	(-)1.21
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों से (iii) निवल ब्याज मद की प्रतिशतता	21.14	22.44	(-)1.30
(ख) ऋण के कमी या परिहार के लिए विनियोग			
(i) बचत निधियों के अंशदान	300.00	300.00	..
(ii) अन्य विनियोग	..	..	..

इसके अतिरिक्त विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्त ब्याज के कारण ब्याज प्रभासों पर ₹ 1,361.36 करोड़ एवं बाजार कर्जों पर प्रीमियम के रूप में ₹ 34.32 करोड़ तथा एकल नोडल एजेंसी खातों पर ₹ 39.40 करोड़ और विविध प्राप्तियों के रूप में ₹ 22.33 करोड़ ब्याज समायोजन हुए।

वर्ष के दौरान सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशों तथा अन्य निवेशों से लाभांश के तौर पर ₹ 289.79 करोड़ की प्राप्ति भी हुई।

## 7. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की विवरणी

### भाग-1 कर्जों तथा अग्रिमों का सारांश ऋणी समूहवार

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2023 को शेष	वर्ष के दौरान सवितरण	वर्ष के दौरान चुकोती	अशोध्य कर्ज तथा अग्रिमों को बटटे खाते डालना	31 मार्च 2024 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि / कमी(6-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
						(₹ करोड़ में)	
शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति	659.50	1,202.50	..	..	1,861.95	1,202.45	..
स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए	22.50	765.69	..	..	788.19	765.69	
कर्ज							
जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं	972.70	..	..	..	972.70	..	..
शहरी विकास							
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन	0.44	..	..	..	0.44	..	..
जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग							
सामाजिक कल्याण व पोषण	1.45	..	..	..	1.45	..	..
अन्य सामाजिक सेवाएं	0.50	..	0.03	..	0.47	(-)0.03	..
कृषि व सहायक क्रियाकलाप	2,200.01	1,186.19	32.11	..	3,354.09	1,154.08	..
ग्रामीण विकास	208.79	..	22.33	..	186.46	(-)22.33	..
सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण	176.31	..	..	..	176.31	..	..
ऊर्जा	832.24	..	101.75	..	730.49	(-)101.75	..
उद्योग एवं खनिज	5,352.23	219.33	70.00	..	5,501.56	149.33	..
परिवहन	0.01	584.38	..	..	584.39	584.38	..
सामान्य वित्तीय एवं विपणन	12.66	..	..	..	12.66	..	..
संस्थाएं							
राजकीय कर्मचारी	135.04	97.17	74.93	..	157.28	22.24	..
<b>जोड़ -ऋण तथा अग्रिम</b>	<b>10,574.38</b>	<b>4,055.21</b>	<b>301.15</b>	<b>..</b>	<b>14,328.44 (क)</b>	<b>3,754.06</b>	<b>..</b>
निम्नलिखित ऋण के मामलों को	'शाश्वत ऋण के रूप में' स्वीकृति मिल चुकी है।						
<b>क्रम सं.</b>	<b>ऋणी संस्था</b>	<b>स्वीकृति वर्ष</b>	<b>स्वीकृति आदेश सं.</b>	<b>राशि</b>	<b>ब्याज दर</b>		

(₹ करोड़ में)

सूचना उपलब्ध नहीं है।

(क) विवरणी 18 में (-) ₹ 0.02 करोड़ का अन्तर पूर्णांक के कारण है।

## 7. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की विवरणी - जारी

### भाग-2 कर्जों तथा अग्रिमों का सारांश: ऋणी क्षेत्रवार

क्षेत्र	1 अप्रैल 2023 को शेष	वर्ष के दौरान सवितरण	वर्ष के दौरान चुकाती	अशोध्य कर्ज तथा अग्रिमों को बटटे खाते डालना	31 मार्च 2024 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि / कमी(6-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
(₹ करोड़ में)							
सामान्य सेवाएं	..	..	..	..	..	..	..
सामाजिक सेवाएं	1,657.08	1,968.14	0.03	..	3,625.19	1,968.11	..
आर्थिक सेवाएं	8,782.28	1,989.90	226.19	..	10,545.99	1,763.71	..
शासकीय सेवाएं	135.04	97.17	74.93	..	157.28	22.24	..
<b>जोड़ -</b>	<b>10,574.40</b>	<b>4,055.21</b>	<b>301.15</b>	<b>..</b>	<b>14,328.46</b>	<b>3,754.06</b>	<b>..</b>

टिप्पणी:- ब्योरे के लिए सरकारों द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों के विस्तृत विवरणी-18 का भाग 1 देखें।

### 7. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की विवरणी - समाप्त

#### भाग-3 ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश

ऋणी संस्था	31 मार्च 2024 को बकाया राशि			शीघ्रतम अवधि जिसमें बकाया संबंधित है	31 मार्च 2024 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूल	ब्याज	जोड़		
1	2	3	4	5	6
				(₹ करोड़ में)	
मध्यम आय वर्ग गृह स्कीम	0.27	..	0.27	1990-91	4.60
निम्न आय वर्ग गृह स्कीम	1.07	..	1.07	1990-91	27.57
ग्रामीण गृह स्कीम	0.92	..	0.92	1990-91	23.07
<b>जोड़ -</b>	<b>2.26</b>	<b>..</b>	<b>2.26</b>	<b>..</b>	<b>55.24</b>

टिप्पणी:- ब्योरे के लिए सरकारों द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों के विस्तृत विवरणी-18 का भाग 2 देखें।

### 8. सरकार के निवेशों की विवरणी

#### विभिन्न प्रतिष्ठानों में शेयर पूंजी तथा डिबेंचर में वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश

प्रतिष्ठानों के नाम	प्रतिष्ठानों की संख्या	2023-24		2022-23		
		वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज
					(₹ करोड़ में)	
1. सांविधिक निगम	2	204.93	12.63	2	204.93	..
2. ग्रामीण बैंक	4	0.53	..	4	0.53	..
3. सरकारी कम्पनियां	34	37,146.12	247.58	33	36,805.15	187.69
4. अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियां और साझेदारियां	31	1.75	..	31	1.75	..
5. सहकारिता संस्थान एवं स्थानीय निकाय	41	924.88 *	29.58	42	1,007.70	4.31
<b>जोड़-</b>	<b>112</b>	<b>38,278.21</b>	<b>289.79</b>	<b>112</b>	<b>38,020.06</b>	<b>192.00</b>

\* वर्ष के दौरान निवेश से, ₹ 114.83 करोड़ निवृत्त किए गए हैं।

## 9. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी

गारंटियों का क्षेत्रवार विवरण -

क्षेत्र(गारंटियों की संख्या कोष्ठक में है)	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि	वर्ष 2023-24 के आरम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन(प्रदत्त गारंटियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		वर्ष 2023-24 के अन्त में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य सामग्री विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
(₹ करोड़ में)										
विद्युत (50)	21,434.76	7,505.75	8,037.76	2,182.80	..	..	13,360.71	168.91	153.43	..
सहकारिता (8)	1,511.73	341.51	68.36	45.14	..	..	364.73	6.45	1.87	..
शहरी विकास एवं हाउसिंग (20)	21,093.06	12,073.64	2,542.25	6,850.34	..	..	7,765.55	60.40	15.29	..
अन्य ढांचा (17)	6,810.82	3,137.17	1,798.96	2,212.31	..	..	2,723.82	37.69	34.34	..
<b>जोड़ (95)</b>	<b>50,850.37</b>	<b>23,058.07</b>	<b>12,447.33</b>	<b>11,290.59</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>24,214.81</b>	<b>273.45</b>	<b>204.93</b>	<b>..</b>

नोट: डेटा स्रोत: राज्य सरकार, वित्त विभाग।

### 10. राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

अनुदान गारंटी का नाम/श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां	कॉलम संख्या-2 के तहत कुल निधियों में से पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियाँ
1	2	3
(₹ करोड़ में)		
<b>1. पंचायती राज संस्थान</b>		
(i) जिला परिषद	5.39	..
(ii) पंचायत समितियां	..	..
(iii) ग्राम पंचायत	1,690.76	878.24
(iv) अन्य(पी.आर.आई.)	1,366.57	1,041.09
<b>2. शहरी स्थानीय निकाय</b>		
(i) नगर निगम	1,471.44	1,428.70
(ii) नगर पालिका/नगर परिषद्	1,019.63	63.43
(iii) अन्य	..	..
<b>3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>		
(i) राजकीय कम्पनियाँ	392.00	392.00
(ii) सांविधिक निगम/बोर्ड	203.17	19.00
<b>4. स्वायत्त निकाय</b>		
(i) विश्वविद्यालय	24.62	..
(ii) विकास प्राधिकरण	483.50	400.00
(iii) सहकारी संस्थाएं	560.80	1.07
(iv) अन्य	964.60	90.36
<b>5. गैर सरकारी संगठन</b>	48.64	..
<b>6. सरकारी संस्थान</b>	2,193.44	17.87
<b>7. विविध</b>	1,714.53	167.54
<b>जोड़ -</b>	<b>12,139.09</b>	<b>4,499.30</b>

**10. राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी - समाप्त**

गारंटी नाम/श्रेणी	पुण्य सहायता अनुदान	पूँजी परिसंपत्ति स्वरूप की पुण्य में सहायता अनुदान का मूल्य
1	2	3
		(₹ करोड़ में)
(i) अन्य निकाय		75.42 ..
	जोड़ -	75.42 ..

### 11. प्रभारित और दत्तमत व्यय की विवरणी

ब्यौरे	वास्तविक आंकड़े			(₹ करोड़ में)		
	2023-24			2022-23		
	प्रभारित	दत्तमत	जोड़	प्रभारित	दत्तमत	जोड़
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	21,895.20	91,300.49	1,13,195.69	20,387.45	86,018.76	1,06,406.21
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	150.01	15,770.93	15,920.94	33.07	11,631.88	11,664.95
लोक ऋण के अन्तर्गत संवितरण	59,194.20	..	59,194.20	53,021.27	..	53,021.27
कर्जे तथा पेशगियाँ (क)	..	4,055.22	4,055.22	..	2,462.07	2,462.07
आकस्मिक निधि से विनियोजन	..	..	..	..	..	..
<b>जोड़ -</b>	<b>81,239.41</b>	<b>1,11,126.64</b>	<b>1,92,366.05(क)</b>	<b>73,441.79</b>	<b>1,00,112.71</b>	<b>1,73,554.50</b>
(क) आंकड़े निम्न प्रकार से निकाले गए हैं:-						
<b>इ. लोक ऋण-</b>						
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	58,984.20	..	58,984.20	52,806.45	..	52,806.45
केन्द्रीय सरकार से कर्जे और पेशगियाँ	210.01	..	210.01	214.82	..	214.82
<b>जोड़- लोक- ऋण</b>	<b>59,194.21</b>	<b>..</b>	<b>59,194.21</b>	<b>53,021.27</b>	<b>..</b>	<b>53,021.27</b>
<b>च. कर्जे तथा पेशगियों *</b>						
सामान्य सेवाओं के लिए कर्जे	..	..	..	..	..	..
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे	..	1,968.14	1,968.14	..	854.48	854.48
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे	..	1,989.90	1,989.90	..	1,523.31	1,523.31
सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्जे आदि	..	97.17	97.17	..	84.28	84.28
<b>जोड़- कर्जे तथा पेशगियाँ</b>	<b>..</b>	<b>4,055.21</b>	<b>4,055.21</b>	<b>..</b>	<b>2,462.07</b>	<b>2,462.07</b>

(क) वास्तविक आंकड़े से 0.01 करोड़ भिन्न है।

\*अधिक ब्यौरे, खण्ड-II की विवरणी संख्या 18 में दिये गये हैं।

(i) वर्ष 2023-24 व 2022-23 के दौरान प्रभारित व्यय व दत्तमत व्यय की कुल व्यय से प्रतिशतता निम्न प्रकार रही:-

वर्ष	कुल व्यय का प्रतिशत	
	प्रभारित	दत्तमत
2023-24	42.23	57.77
2022-23	42.32	57.68

## 12. राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के उपयोग की विवरणी

विवरण	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष 2023-24 के दौरान	31 मार्च 2024 को
			(₹ करोड़ में)
<b>पूंजीगत और अन्य व्यय-</b>			
<b>पूंजीगत व्यय (क्षेत्रानुसार)</b>			
अन्य वित्तीय सेवाएं	10.10	..	10.10
पुलिस	2,537.04	248.48	2,785.52
लेखन सामग्री और मुद्रण	11.51	..	11.51
लोक निर्माण	4,023.94	392.13	4,416.07
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	4,073.71	574.52	4,648.23
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	5,074.17	1,154.36	6,228.53
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	28,039.19	2,589.44	30,628.63
सूचना एवं प्रसारण	293.16	60.49	353.65
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	69.31	6.23	75.54
सामाजिक कल्याण और पोषाहार	768.82	37.61	806.43
अन्य सामाजिक सेवाएं	1,460.33	15.29	1,474.82(क)
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	9,006.76	2,997.71	11,903.52(ख)
ग्रामीण विकास	636.82	1,232.16	1,868.98
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	22,937.12	2,623.65	25,560.77
ऊर्जा	29,341.16	234.04	29,575.20
उद्योग और खनिज	571.11	183.19	741.22(ग)
परिवहन	29,649.76	3,355.46	33,005.22
विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण अनुसंधान	58.85	..	58.85
सामान्य आर्थिक सेवाएं	2,041.75	216.18	2,257.93
<b>जोड़-पूंजीगत व्यय</b>	<b>1,40,604.61</b>	<b>15,920.94</b>	<b>1,56,410.72(घ)</b>

(क) ₹ 0.80 करोड़, (ख) ₹ 100.95 करोड़, (ग) ₹ 13.08 करोड़ (घ) ₹ 114.83 करोड़ क्रमशः प्राफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/सेवानिवृत्ति के कारण थी।

## 12. राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के उपयोग की विवरणी - जारी

विवरण	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष 2023-24 के दौरान	31 मार्च 2024 को
	(₹ करोड़ में)		
<b>कर्जे और पेशगियां-</b>			
<b>विभिन्न सेवाओं के लिए कर्जे और पेशगियां-</b>			
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	659.50	1,202.45	1,861.95
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	22.50	765.69	788.19
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	972.69	..	972.69
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.44	..	0.44
सामाजिक कल्याण और पोषाहार	1.45	..	1.45
अन्य सामाजिक सेवाएं	0.50	(-)0.03	0.47
कृषि तथा संबंधित क्रिया- कलाप	2,200.01	1,154.08	3,354.09
ग्रामीण विकास	208.80	(-)22.33	186.47
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	176.31	..	176.31
ऊर्जा	832.24	(-)101.75	730.49
उद्योग और खनिज	5,352.23	149.33	5,501.56
परिवहन	0.01	584.38	584.39
सामान्य आर्थिक सेवाएं	12.66	..	12.66
सरकारी कर्मचारियों को कर्जे आदि	135.03	22.24	157.27
<b>जोड़- कर्जे और पेशगियां</b>	<b>10,574.37</b>	<b>3,754.06</b>	<b>14,328.43</b>
आकस्मिकता निधि का विनियोजन	1,000.00	..	1,000.00
<b>जोड़- पूंजी और अन्य व्यय</b>	<b>1,52,178.98</b>	<b>19,675.00</b>	<b>1,71,739.15(क)</b>
<b>घटाएं-</b>			
i) आकस्मिकता निधि से अंशदान	..	545.95	545.95
ii) विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंशदान	486.18	114.83	601.01
iii) विकास निधि, आरक्षित निधि, आदि से अंशदान	..	..	..
<b>जोड़- निवल पूंजी और अन्य व्यय</b>	<b>1,51,692.80</b>	<b>19,014.22</b>	<b>1,70,592.19(क)</b>
<b>निधियों के प्रमुख स्रोत-</b>			
<b>ऋण-</b>			
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	2,52,780.78	27,991.46	2,80,772.24
केन्द्रीय सरकार से कर्जे और पेशगियां	14,290.07	1,535.15	15,825.22
अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	18,663.81	98.43	18,762.24
<b>जोड़- ऋण-</b>	<b>2,85,734.66</b>	<b>29,625.04</b>	<b>3,15,359.70</b>

(क) ₹ 114.83 करोड़ प्राफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/निवृत्ति के कारण है।

<b>12. राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के उपयोग की विवरणी - समाप्त</b>			
<b>विवरण</b>	<b>1 अप्रैल 2023 को</b>	<b>वर्ष 2023-24 के दौरान</b>	<b>31 मार्च 2024 को</b>
		(₹ करोड़ में)	
<b>अन्य प्राप्तियां</b>			
आकस्मिकता निधि	1,000.00	(-)545.95	454.05
आरक्षित निधियां	10,258.95	1,979.59	12,238.54
जमा राशियों के अंतर्गत निवल शेषों	12,110.25	2,447.14	14,557.39
नागरिक अग्रिमों	(-)0.74	..	(-)0.74
उच्चत और विविध (सरकारी लेखे में पड़ी राशि और रोकड़ शेष निवेश लेखे के अतिरिक्त)	421.41	(-)445.28	(-)23.87
प्रेषण	352.16	(-)15.17	336.99
<b>जोड़- अन्य प्राप्तियां</b>	<b>24,142.03</b>	<b>3,420.33</b>	<b>27,562.36</b>
<b>जोड़- ऋण और अन्य प्राप्तियां</b>	<b>3,09,876.69</b>	<b>33,045.37</b>	<b>3,42,922.06</b>
<b>घटाएं-</b>			
i) रोकड़ शेष	(-)716.09	1,089.99	373.90
ii) निवेश	4,545.63	514.36	5,059.99
<b>जोड़-</b>	<b>3,06,047.15</b>	<b>31,441.02</b>	<b>3,37,488.17</b>
<b>घटाएं- राजस्व घाटा/जोड़े: राजस्व अधिशेष</b>		(-)11,880.86	
<b>जोड़े- सरकारी लेखों में पड़ी राशि</b>		..	
<b>घटाएं- अंतर्राज्यीय उचंत</b>		..	
<b>निधियों का निवल प्रावधान</b>		<b>19,560.16</b>	
प्रगतिशील निवल पूंजीगत और अन्य व्यय		1,70,592.19	
निधियों के प्रगतिशील मुख्य स्रोत		3,37,488.17	
<b>अंतर-</b>		<b>(-)1,66,895.98(क)</b>	
<b>₹ (-)1,66,895.98 करोड़ का अंतर नीचे स्पष्ट किया गया है:-</b>			
31 मार्च 2024 तक संचयी राजस्व घाटा		(-)1,67,246.04	
31 मार्च 2024 तक संचयी अंतर्राज्यीय निपटान		..	
सरकारी लेखों में पड़ी राशि		1,497.02	
सेवानिवृत्ति/विनिवेश के कारण समायोजन		(-)601.01	
बकाया आकस्मिकता निधि		(-)545.95	
<b>जोड़-</b>		<b>(-)1,66,895.98</b>	

(क) यह राशि विवरणी संख्या-1 से ₹ 1,000.00 करोड़ की आकस्मिकता निधि को विनियोजन, विविध पूंजीगत प्राप्तियों से योगदान ₹ (-)601.01 करोड़ और बकाया आकस्मिकता निधि से ₹ 545.95 करोड़, के कारण भिन्न है।

### 13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अन्तर्गत शेषों का सारांश

क. 31 मार्च 2024 को शेषों का सारांश नीचे दिया गया है

नाम (डेबिट) शेष (₹ करोड़ में)	सामान्य लेखे का क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा (क्रेडिट) शेष (₹ करोड़ में)
3,23,159.74	क से घ, छ तथा ठ सेक्टर का भाग	<b>समेकित निधि</b> सरकारी लेखा	..
..	ड	लोक ऋण	2,96,597.46
14,328.46	च	कर्जे तथा अग्रिम	..
..		<b>आकस्मिकता निधि</b> आकस्मिकता निधि-	454.05
..	झ	<b>लोक लेखा</b> अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आदि	18,762.25
..	ण	भविष्य निधियां अन्य लेखे आरक्षित निधियां (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	7,905.52
..		सकल शेष (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां-	4,333.03
3,787.38		सकल शेष पृथकरक्षित निधियों में निवेश	..
..	ट	जमा और पेशगियां (क) ब्याज वाले जमा	486.14
..		(ख) बिना ब्याज वाले जमा	14,071.25

### 13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अन्तर्गत शेषों का सारांश - जारी

31 मार्च 2024 को शेषों का सारांश नीचे दिया गया है

नाम (डेबिट) शेष (₹ करोड़ में)	सामान्य लेखे का क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा (क्रेडिट) शेष (₹ करोड़ में)
<b>लोक लेखा-समाप्त</b>			
0.74		(ग) अग्रिम	..
	ठ	उचन्त और विविध	
19.66		उचन्त	..
4.14		अन्य मदें	..
1,272.60		निवेश	..
0.06		विदेशी सरकारों के साथ लेखे	..
..	ड	प्रेषण	336.99
..		धनादेश तथा अन्य प्रेषण	..
..		अन्तर-सरकारी समायोजन लेखे	..
373.90	ढ	रोकड़ शेष (अन्त)	..
0.01		पूर्णांकन के कारण	..
<b>3,42,946.69</b>		<b>जोड़</b>	<b>3,42,946.69</b>

टिप्पणी- भारतीय रिजर्व बैंक जमा जो कि सरकार के नकद शेष का भाग है के संबंध में लेखों में दर्शित आकड़ों एवं भारतीय रिजर्व बैंक सूचित आकड़ों में अन्तर है। विवरण के लिए विवरणी -2 के अनुबन्ध, पृष्ठ-7 का संदर्भ ले।

### 13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अन्तर्गत शेषों का सारांश - जारी

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. शीर्ष "सरकारी लेखा" का महत्व नीचे स्पष्ट किया गया है :-

सरकारी लेखाओं में अनुसरित बही खाता पद्धति के अन्तर्गत राजस्व, पूंजीगत शीर्षों के अधीन लेखांकित राशियों और सरकार के लेन-देन जिनके शेष वर्षानुवर्ष आगे नहीं ले जाए जाते हैं, एक ही शीर्ष जिसे "सरकारी लेखा" कहा जाता है, को संवृत (क्लोज) किए जाते हैं। इस शीर्ष के अधीन शेष ऐसे समस्त लेन-देनों के संचयी परिणाम को दर्शाता है ताकि उसमें लोक ऋण, कर्जे तथा अग्रिम, अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि, आरक्षित निधियां, जमा तथा अग्रिम, उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखे से अलग) प्रेषणों और आकस्मिकता निधि के अधीन शेषों को जोड़ने के बाद वर्ष के अन्त में अन्तिम रोकड़ शेष निकाला तथा सत्यापित किया जा सके।

वर्ष 2023-24 के निम्नलिखित सरकारी लेखे से यह ज्ञात होता है कि वर्ष के अन्त में निवल राशि किस प्रकार निकाली गई है :-

नाम (डेबिट)	ब्यौरे	जमा (क्रेडिट)
(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)
2,95,472.77	(क) पहली 1 अप्रैल 2023 को सरकारी लेखे के नाम में शेष	..
..	(ख) राजस्व प्राप्तियां	1,01,314.84
1,13,195.70	(ग) राजस्व लेखे पर व्यय	..
15,920.94	(घ) पूंजीगत लेखे पर व्यय	..
..	(ङ) पूंजीगत लेखे पर प्राप्तियां	114.83
..	(च) विविध सरकारी लेखे	..
..	(छ) 31 मार्च 2024 को सरकारी लेखे के नाम में शेष	3,23,159.74
..	(ज) आकस्मिकता निधि का विनियोग	..
	पूर्णांकन के कारण	..
<b>4,24,589.41</b>	<b>कुल</b>	<b>4,24,589.41</b>

---

### 13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अन्तर्गत शेषों का सारांश - समाप्त

---

2. इस सारांश में अन्य शीर्षों के अन्तर्गत सरकारी पुस्तकों के सभी लेखा शीर्षों के शेष शामिल किए गए हैं जिनमें सरकार पर प्राप्त किए गए धन को वापिस करने का दायित्व होता है या सरकार अदा की गई रकम वसूल करने का अधिकार रखती है और इसके साथ ही लेखों के वे शीर्ष भी शामिल हैं जो प्रेषण से संबंधित लेन-देन के समायोजन के लिए पुस्तकों में खोले जाते हैं। यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि इन शेषों को हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता क्योंकि इनके अन्तर्गत राज्य की समस्त भौतिक परिसम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन, संचार साधन आदि को शामिल नहीं किया जाता और न ही इसमें ऐसी उपचित प्राप्यताओं (एकूद-ड्यूज) या बकाया देयताओं (आउटस्टैंडिंग लाईबिलिटीज) को शामिल किया जाता है जिन्हें सरकार द्वारा अनुसारित रोकड़ पद्धति के अन्तर्गत लेखे में नहीं लिया जाता।
3. आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से सम्बन्धित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों का सारांश विवरणी संख्या 21 में दिया गया है। बहुत से मामलों में, जो विवरणी संख्या 21 में अंकित हैं, उस विवरणी में दर्शाए गए अन्त शेष तथा लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों में इस प्रयोजन के लिए रखे गए पृथक रजिस्ट्रों या अन्य अभिलेखों में दिखाए गए अन्त शेषों के बीच ऐसे अन्तर हैं जिनका समाधान नहीं किया गया। त्रुटियों का यथाशीघ्र समाधान करने के लिए अपेक्षित ब्यौरे तथा प्रलेख एकत्रित करने के उपाय किए जा रहे हैं।
4. शेषों को उनकी स्वीकृति के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को प्रति वर्ष सूचित किया जाता है। बहुत से मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं। बहुत से मामलों में कई वर्षों का विलम्ब हुआ है। कुछ उदाहरण जिनमें शेषों की बड़ी राशियों के सत्यापन और स्वीकृति में देर हुई है, परिशिष्ट-VII में दर्शाए गए हैं।

## 1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

### (i) प्रतिवेदन इकाई:

ये लेखे हरियाणा सरकार के लेन-देन को दर्शाते हैं। हरियाणा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखों का संकलन 24 कोषालयों, 117 लोक निर्माण मंडलों (59 भवन एवं सड़कें, 58 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), 40 वन मंडलों, 86 सिंचाई/जल संसाधन मंडलों, 38 वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर किया गया है। वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा छोड़ा नहीं गया है।

### (ii) प्रतिवेदन समयावधि:

इन लेखों की प्रतिवेदन समयावधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की है।

### (iii) प्रतिवेदन मुद्रा:

हरियाणा सरकार के लेखे भारतीय रूपयों (₹) में प्रतिवेदित किए जाते हैं।

### (iv) लेखों के प्रारूप:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत, संघ तथा राज्य के लेखे ऐसे प्रारूप में रखे जाते हैं, जैसा कि राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह से निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रारूप' का विस्तृत अर्थ है, जिसमें लेखों को रखने के विस्तृत रूप को ही न केवल निर्धारित करना है बल्कि खातों के संचित्र बनाने के लिए लेन देनों को वर्गीकृत करने के लिए सही खाता शीर्षों के चुनाव करने का आधार भी शामिल है।

### (v) बजट और वित्तीय प्रतिवेदन का आधार:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय की विवरणी, वार्षिक वित्तीय विवरणी (बजट) को अनुदान/विनियोग के रूप में विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बजट को वसूलियों तथा प्राप्तियों जिन्हें अन्यथा व्यय में कमी में समायोजित करने की अनुमति होती है, के बगैर सकल आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। बजट तथा लेखों के शीर्षों से संबंधित सभी अनुदान/विनियोग, जिनके शेषों को आगे नहीं ले जाया जाता, वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं।

**बजट एवं लेखे:** राज्य के बजट एवं लेखे दोनों समान लेखा समयावधि, लेखांकन का नकद आधार तथा वर्गीकरण का समान आधार का पालन करते हैं। लेखों का वर्गीकरण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से महालेखा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची के अनुसार लघु शीर्षों के स्तर पर किया जाता है। लघु शीर्षों के नीचे का वर्गीकरण प्रत्येक राज्य में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय की

सहमति के अनुसार किया जाता है।

विनियोग लेखों के रूप में एक अलग बजटीय तुलनात्मक विवरणी प्रस्तुत की जाती है, जो अनुदानों/विनियोगों की तुलना में वास्तविक संवितरण दर्शाती है। विनियोग लेखे सकल आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं तथा वित्त लेखों में दर्शाए निवल आंकड़ों के मिलान हेतु, विनियोग लेखों में एक मिलान विवरणी शामिल की जाती है।

**नकदी आधार:** ऐसे पुस्तकीय समायोजन जो कि अधिकृत हैं, को छोड़कर लेखे प्रतिवेदन समयावधि के दौरान, वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। वित्त लेखों में प्राप्तियां तथा संवितरण निवल आधार पर लिये जाते हैं; वसूलियों, कटौतियों तथा धन वापसी के निवल के रूप में।

**पुस्तकीय समायोजन:** पुस्तकीय समायोजन गैर-नकद लेनदेन हैं जो लेखों में समायोजन/निपटान के रूप में दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन लेखा प्रतिपादन इकाइयों जैसे कोषालयों, मंडलों इत्यादि के स्तर पर वेतन से की गई कटौतियों तथा वसूलियों का राजस्व प्राप्तियों/ऋणों/लोक लेखा में समायोजन, समेकित निधि एवं लोक लेखा के बीच 'शून्य बिल' से धन के हस्तांतरण इत्यादि उद्देश्यों हेतु किये जाते हैं।

पुस्तकीय समायोजन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में भी किए जाते हैं। इनमें, अन्य के अतिरिक्त, समेकित निधि को नामे करके लोक लेखा में निधियों के सृजन तथा अंशदान दर्ज करना (जैसे राज्य आपदा राहत निधि, केंद्रीय सड़क एवं अवसंचरना निधि, निक्षेप निधि, इत्यादि); समेकित निधि को नामे करके लोक लेखा की आरक्षित निधियों/ जमा शीर्षों को जमा करना; सामान्य भविष्य निधि तथा राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन मुख्य शीर्ष 2049- ब्याज अदायगियां को नामे करके तथा लोक लेखा में संबंधित मुख्य शीर्षों को जमा करना; केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार की योजना के अंतर्गत ऋण माफी का समायोजन, आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति, इत्यादि लेन-देन शामिल हैं।

**पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरण:** एक स्थायी प्रकृति की साकार संपत्तियां अधिगृहण करने (सरकारी संस्था में उपयोग के लिए तथा व्यवसाय के सामान्य क्रम में बिक्री के लिए नहीं) या मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए महत्वपूर्ण व्यय को मुख्यतः पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। रखरखाव, मरम्मत, अनुरक्षण एवं संचालन लागत पर बाद में किया गया व्यय, जोकि परिसंपत्तियों को प्रचलन में रखने के लिए आवश्यक है तथा संस्था के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी व्यय तथा प्रशासनिक व्यय, को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पूंजीगत तथा राजस्व व्यय लेखों में अलग-अलग दर्शाए जाते हैं।

**भौतिक एवं वित्तीय संपत्तियाँ तथा दायित्व:** भौतिक संपत्तियाँ एवं वित्तीय संपत्तियाँ (जैसे सरकार द्वारा किए गए निवेश, ऋण तथा अग्रिम, इत्यादि) तथा दायित्व जैसे ऋण इत्यादि को मूल लागत पर मापा जाता है। भौतिक संपत्तियों का अवमूल्यन नहीं किया जाता तथा वित्तीय संपत्तियों का परिशोधन नहीं किया जाता। भौतिक संपत्तियों के अन्त पर उनकी हानि का मूल्यांकन नहीं किया जाता तथा न ही मान्य है।

**सहायता अनुदान:** भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.) 2: सहायता अनुदान का लेखांकन तथा वर्गीकरण के अनुपालन में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों को छोड़कर, रोकड़ सहायता अनुदान को संवितरण के समय राजस्व व्यय माना जाता है, भले ही इस से अनुदेयी द्वारा परिसंपत्तियों का सृजन किया गया हो। सभी अनुदान प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियां माना जाता है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों के लेखांकन एवं वर्गीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने का विवरण वित्त लेखों की विवरणी 10 तथा परिशिष्ट III में दर्शाया गया है। वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदानों के संबंध में विस्तृत जानकारी राज्य सरकार से उपलब्ध जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है।

**ऋण तथा अग्रिम:** भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.) 3- सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम के अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण वित्त लेखों की विवरणी 7 और 18 में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2024 तक विवरणियों में दर्शाए गए अंतिम शेष राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गये हैं, बल्कि लेखों से प्राप्त किए गए हैं तथा अभी राज्य सरकार द्वारा उनका मिलान किया जाना बाकी है। आई.जी.ए.एस. 3 के कुछ प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया है, उदाहरण के तौर पर ऋणी संस्थाओं के पुनर्भुगतान बकाया के संबंध में जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जा रही है।

**पूर्व अवधि समायोजन:** भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.) 4- पूर्व अवधि समायोजन के अनुपालन में, राज्य सरकार मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार समायोजन करती है और ऐसी जानकारी का खुलासा करती है, जो पूर्व अवधि की त्रुटियों से संबंधित होती है एवं सरकारी निर्णयों में बदलावों से उत्पन्न होने वाली पूर्व अवधि समायोजन की आवश्यकता वाली प्रविष्टियों को दर्शाती है, जिससे वर्तमान शेषों तथा पिछले वर्षों की प्रगतिशील राशियां प्रभावित हो सकती हैं, जिनके खाते हो चुके हैं।

**सेवानिवृत्ति लाभ:** प्रतिवेदन समयावधि के दौरान संवितरण किए गए सेवानिवृत्ति लाभों को उपयोगानुसार भुगतान (पे-एज-यू-गो) आधार पर लेखों में दर्शाया गया है, परन्तु पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के प्रति सरकार की भविष्य की पेंशन देयता जैसे कि अपने कर्मचारियों की पिछली और वर्तमान सेवा के लिए सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की देयता, लेखों में शामिल नहीं की गई है।

**(vi) पूर्णांकन:**

विवरणी के शीर्ष पर दर्शाए गए ₹ 'लाख में' एवं ₹ 'करोड़ में' के अनुसार आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है। विभिन्न विवरणियों में पूर्ण आंकड़ों एवं पूर्णांकित आंकड़ों के बीच में जहां कहीं भी अंतर है, वह पूर्णांकन के कारण है।

**(vii) रोकड़ शेष:**

राज्य के लेखों में दर्शाया रोकड़ शेष, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग के साथ राज्य सरकार के खाते में वर्ष के 31 मार्च के अंत में दर्ज शेष होता है। रोकड़ शेष वर्ष के दौरान राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के नकद लेनदेन के बाद बकाया शेषों को दर्शाता है। पुस्तकीय समायोजन

रोकड़ शेष को प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि वे गैर-नकद लेनदेन हैं। वित्त लेखों में दर्ज रोकड़ शेष भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तकों के साथ मिलान के अधीन है।

**(viii) आकस्मिक तथा प्रतिबद्ध देयताओं का प्रकटीकरण:**

भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.) 1: 'सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां', क्षेत्रवार एवं वर्गवार, गारंटियों का विवरण राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणी के अनुसार वित्त लेखों के विवरणी 9 एवं 20 में दर्शाया गया है। आई.जी.ए.एस.-1 के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि स्वचालित ऋण प्रणाली एवं संरचित भुगतान व्यवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है। गारंटियों के लिए ट्रेकिंग यूनिट का मामला भी अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सरकार प्रतिबद्धता लेखांकन का पालन नहीं करती है तथा प्रतिबद्धताओं को न तो दर्ज किया जाता है न ही प्रतिबद्धताओं के अनुरूप देयताओं को लेखों में दर्शाया जाता है, हालांकि, यह अपनी भावी प्रतिबद्धताओं को वित्त लेखों के परिशिष्ट XII में दर्शाती है।

**(ix) निकासी लेनदेन:**

राज्य द्वारा एकत्रित प्राप्तियों की प्रकृति के निकासी लेनदेन जिन्हें अन्य इकाइयों को हस्तांतरित करना होता है, को वित्त लेखों की टिप्पणियों में किया जाता है। इनमें राज्य की क्षतिपूरक वनीकरण लेखा प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सी.ए.एम.पी.ए.) निधि में वर्ष के दौरान संग्रहण का 10 प्रतिशत, वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में अंतरण करना, रॉयल्टी का दो प्रतिशत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को स्थानांतरित करना, श्रम उपकर को सरकारी खाते में एकत्र कर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को स्थानांतरित करना, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर राज्य द्वारा प्राप्त केंद्रीय हिस्से को एकल नोडल एजेंसी को स्थानांतरित करना, लोक लेखा में निर्दिष्ट मुख्य शीर्ष से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) अंशदान को निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को स्थानांतरित करना आदि शामिल हो सकते हैं।

**2. लेखांकन प्रणाली का अनुपालन:**

**(i) मासिक लेखों को बंद करने के बाद कोषागारों द्वारा लेखों को स्थिर न करना:**

मौजूदा प्रथा के अनुसार, राज्य द्वारा एक बार बंद करके प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को भेजे गए लेखों को किसी भी बदलाव के लिए खोला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह मासिक लेखों को गलत तरीके से प्रस्तुत करेगा। मासिक लेखों को बंद करने के बाद कोषागारों द्वारा लेखों को स्थिर न करने से, प्रधान महालेखाकार कार्यालय को मासिक लेखे प्रस्तुत करने के बाद आंकड़ों में संशोधन की संभावना रहती है तथा इससे प्रधान महालेखाकार कार्यालय और राज्य सरकार (हरियाणा) के आंकड़ों के बीच अंतर हो सकता है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) में मासिक लेखों को बन्द करने एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को भेजने के उपरान्त स्थिर करने का कोई प्रावधान नहीं है।

**(ii) अनाधिकृत शीर्षों का संचालन:**

वर्ष 2023-24 के दौरान, हरियाणा सरकार ने राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 03 (तीन) अनाधिकृत लघु शीर्षों (मौजूदा मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार संचालित नहीं किए गए शीर्ष) में ₹ 30.89 करोड़ प्राप्ति अनुमान दर्शाए और इन शीर्षों में ₹ 20.13 करोड़ की राशि प्राप्त की। संशोधन के लिए मामला राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया है।

**(iii) बिना परामर्श के नए उप शीर्ष/ विस्तृत लेखा शीर्ष खोलना:**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, राज्य के लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श के अनुसार 'प्रारूप' में रखा जाना है। वर्ष 2023-24 के दौरान, हरियाणा राज्य सरकार ने प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय से परामर्श के बिना/ सूचित किए बिना, बजट के पूंजीगत अनुभाग में 03 (तीन) उप-शीर्ष संचालित किए। राज्य सरकार ने इन शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधान (₹ 599.00 करोड़) किए तथा ₹ 531.69 करोड़ का व्यय किया।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने वर्ष 2023-24 के बजट दस्तावेजों में आवश्यक सुधार के लिए राज्य सरकार के समक्ष यह मामला उठाया है।

**(iv) बजट प्रावधानों के चित्रण में विसंगति एवं गलत वर्गीकरण:**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202(3) के अनुसार, ऋण भार पर व्यय जिनका दायित्व राज्य पर है जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा ऋण जुटाने और ऋण मोचन की सेवा से सम्बन्धित अन्य व्यय शामिल हैं, प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा।

हालांकि, हरियाणा सरकार ने, वित्तीय वर्ष 2023-24 में, अनुदान संख्या 06- वित्त/आयोजना तथा सांख्यिकी में मुख्य शीर्ष '2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन' के अंतर्गत, समेकित निक्षेप निधि में ₹ 300.00 करोड़ के अंशदान के व्यय को राजस्व (प्रभारित) के बजाए राजस्व (मतदान) में दर्शाते हुए बजट तथा लेखा तैयार किया।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने उक्त राशि का बजट उद्देश्य शीर्ष 'योगदान', की बजाए उद्देश्य शीर्ष 'निवेश' के तहत दिया है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से सही बजटीय प्रावधान करने के लिए हरियाणा सरकार के समक्ष यह मामला उठाया है।

**3. समेकित निधि:****(i) वस्तु एवं सेवा कर:**

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य जी.एस.टी. संग्रहण, 2022-23 के ₹ 28,576.56 करोड़ की तुलना में, ₹ 5,383.47 करोड़ (18.84 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ, ₹ 33,960.03 करोड़ हो गया। इसमें आई.जी.एस.टी. के अग्रिम आबंटन के ₹ (-)285.30

करोड़ का समायोजन शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के 'राज्य को समनुदेशित निवल प्राप्तियों के हिस्से' के रूप में ₹ 3,746.67 करोड़ प्राप्त हुए। जी.एस.टी. के रूप में कुल प्राप्तियां ₹ 37,706.70 करोड़ थीं। राज्य को 2023-24 के दौरान जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण हुए राजस्व नुकसान के कारण राजस्व प्राप्ति के रूप में ₹ 3,504.89 करोड़ का गैर ऋण मुआवजा मिला।

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों तथा वित्त लेखाओं में दर्ज आंकड़ों के मध्य अन्तर के कारण राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्व वर्षों 2019-20 से 2022-23 से संबंधित राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के ₹ 917.96 करोड़ की समायोजन प्रविष्टियां की गईं। अतः 2023-24 में एस.जी.एस.टी. में ₹ 917.96 करोड़ की वृद्धि समायोजन के कारण हुई है।

*प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों की विवरणी संख्या 14 व 17 में उपलब्ध हैं।*

**(ii) मुख्य नियंत्रक अधिकारियों (सी.सी.ओ.) तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मध्य प्राप्तियों, व्यय एवं राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण तथा अग्रिमों का मिलान:**

सभी नियंत्रक अधिकारियों को {पंजाब बजट नियमावली के नियम 12.19 (हरियाणा राज्य पर लागू) के अनुसार} सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा लेखों में दर्ज आंकड़ों के साथ करना अपेक्षित है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,01,274.31 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 99.96 प्रतिशत) और ₹ 1,11,826.03 करोड़ का राजस्व व्यय (कुल राजस्व व्यय का 98.79 प्रतिशत) तथा ₹ 15,728.30 करोड़ रूपये का पूंजीगत व्यय (कुल पूंजीगत व्यय का 98.79 प्रतिशत) का मिलान किया गया। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम राशि (₹ 4,055.22 करोड़ में से) का कोई मिलान नहीं किया गया।

इसकी तुलना में, पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 89,194.69 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 100 प्रतिशत) तथा ₹ 1,06,406.21 करोड़ का राजस्व व्यय (कुल राजस्व व्यय का 100 प्रतिशत) और ₹ 11,664.95 करोड़ के पूंजीगत व्यय (कुल पूंजीगत व्यय का 100 प्रतिशत) का मिलान किया गया। पिछले वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम (₹ 2,462.07 करोड़) का मिलान नहीं किया गया था।

**(iii) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुकिंग:**

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/800-अन्य प्राप्तियों को केवल तभी परिचालित किया जाना चाहिए जब लेखों में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 35 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,245.48 करोड़, जो कि कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 1,29,116.64 करोड़) का 2.51 प्रतिशत है, को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत

वर्गीकृत किया गया। इसमें 800-अन्य व्यय के अंतर्गत कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक वाले 4 मुख्य शीर्ष शामिल हैं। पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान, 33 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 9,488.99 करोड़, जो कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 1,18,071.17 करोड़) का 8.04 प्रतिशत था, को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत वर्गीकृत किया गया था।

इसी तरह, 52 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,267.03 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,01,314.84 करोड़) का 3.22 प्रतिशत है, को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। इसमें 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत कुल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक वाले 25 मुख्य शीर्ष शामिल हैं। पिछले वर्ष के दौरान, 52 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,811.78 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 89,194.69 करोड़) का 4.27 प्रतिशत था, को लेखों में 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

कुछ विशिष्ट उपलब्ध लघु शीर्ष, जिनका उपयोग लघु शीर्ष '800' के स्थान पर किया जा सकता था, की भी पहचान की गई और वर्ष 2023-24 की बजट समीक्षा के द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया। उदाहरण के लिए, मुख्य शीर्ष 2070 के अंतर्गत, लघु शीर्ष 001 फालतू ग्रामीण निष्क्रांत संपत्तियों के विक्रय पर खर्च के लिए उपलब्ध है, इसी प्रकार, वे मुख्य शीर्ष 2202, 2204, 2055, 2801 तथा 3475 में भी उपलब्ध हैं।

*यह वित्त लेखे की विवरणी 14, 15 तथा 16 के आंकड़ों के संदर्भ में है।*

**(iv) व्यक्तिगत जमा (पी.डी.)/व्यक्तिगत बही(पी.एल.) खातों में धन का हस्तांतरण:**

राज्य की समेकित निधि से कोई भी पी.डी. खाता नहीं खोला गया है।

**(v) असमायोजित सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिल:**

वित्तीय नियमों [पंजाब वित्तीय नियमावली खण्ड- I (जो कि हरियाणा राज्य में लागू हैं) के नियम 2.10 (ख)(5)] के अनुसार सरकारी खजाने से कोई धन आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए इसकी आवश्यकता न हो। अप्रत्याशित परिस्थितियों में, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिलों के माध्यम से धनराशि आहरित करने के लिए अधिकृत है। पंजाब कोषालय नियमावली (जो कि हरियाणा राज्य में लागू हैं) के नियम 4.49 के नीचे दी गई टिप्पणी 5 के अनुसार, डी.डी.ओ. को अंतिम व्यय से संबंधित में वाउचर युक्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकता (डी.सी.सी.) बिल एक महीने के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

29 फरवरी, 2024 तक आहरित (पिछले वर्षों सहित), ₹ 1,178.91 करोड़ की राशि के 4,070 ए.सी. बिल, जिनके डी.सी.सी. बिल 31 मार्च 2024 तक देय थे, उनमें से ₹ 809.24 करोड़ के 3,215 डी.सी.सी. बिल प्राप्त हुए। 31 मार्च 2024 तक समायोजन के लिए देय ₹ 369.67 करोड़ की राशि के कुल 855 ए.सी. बिलों के डी.सी.सी. बिल प्राप्त नहीं हुए। समायोजन के लिए देय असमायोजित ए.सी. बिलों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	असमायोजित ए.सी. बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2022-23 तक	322	133.33
2023-24	533	236.34
<b>जोड़</b>	<b>855</b>	<b>369.67</b>

वर्ष 2023-24 के दौरान आहरित ₹ 763.99 करोड़ के 3,291 ए.सी. बिलों में से ₹ 39.52 करोड़ (5.17 प्रतिशत) की राशि के 142 ए.सी. बिल मार्च 2024 में आहरित किए गए।

ए.सी. बिलों के आहरित माह में प्राप्त डी.सी.सी. बिलों की जानकारी निम्नानुसार है:

वर्ष	समायोजन की नियत तिथि से पहले समायोजित ए.सी. बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2023-24	341	47.82

ऊपर बताये ए.सी. बिलों में एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) को धन हस्तांतरित करने के लिए उपयोग किये गये ए.सी. बिल शामिल नहीं हैं।

**(vi) सहायता अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्राप्त न होना:**

पंजाब वित्तीय नियमावली खंड-1 (जो कि हरियाणा राज्य में लागू है) के नियम 8.14 के अनुसार, अनुदान प्राप्त कर्ता द्वारा प्राप्त सशर्त सहायता अनुदान या मंजूरी के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.), अनुदान प्राप्ति की तिथि से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीने के भीतर इसे मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यू.सी. प्रस्तुत न करने के कारण यह जोखिम बना रहता है कि वित्त लेखों में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक न पहुंची हो।

वर्ष 2023-24 के दौरान (पिछले वर्षों सहित) ₹ 24,253.89 करोड़ की राशि के 2,800 यू.सी. देय थे। इनमें से 31 मार्च, 2024 तक ₹ 6,845.91 करोड़ की राशि के 612 यू.सी. प्राप्त हुए।

31 मार्च 2024 तक बकाया यू.सी. की स्थिति नीचे दी गई है:

देय वर्ष	बकाया यू. सी. की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2022-23 तक	1,699	12,955.81
2023-24	489	4,452.17
<b>जोड़</b>	<b>2,188</b>	<b>17,407.98</b>

वर्ष 2022-23 से संबंधित यू.सी. प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात् 31 मार्च 2024 से पहले प्रस्तुत किए गए यू.सी. के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

देय वर्ष	प्रस्तुत करने की नियत तिथि से पहले प्रस्तुत किए गए यू. सी. की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2023-24	164	2,199.69

उपर्युक्त सहायता अनुदान बिलों/यू.सी. में एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) को स्थानांतरण से संबंधित सहायता अनुदान बिल/यू.सी. शामिल नहीं हैं।

यह वित्त लेखे की विवरणी 10 एवं परिशिष्ट III के संदर्भ में है।

**(vii) ब्याज का समायोजन:**

सरकार ज- आरक्षित निधियां (क. ब्याज वाली आरक्षित निधियां) तथा ट- जमा तथा अग्रिम (क. ब्याज वाली जमा) के अंतर्गत पड़े शेषों पर ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है तथा इस उद्देश्य के लिए, मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची में, विशिष्ट उप-मुख्य शीर्ष दिए गए हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान इन निधियों/जमाओं तथा सरकार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

निधियां/जमा	1 अप्रैल, 2023 को शेष	ब्याज की गणना का आधार	देय ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज	कम ब्याज भुगतान
8342- अन्य जमा 117- सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	0.80	सरकार द्वारा अधिसूचित/सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज दर के अनुसार (7.10 प्रतिशत)	0.06	..	0.06
		<b>कुल</b>	<b>0.06</b>	..	<b>0.06</b>

₹ 0.06 करोड़ के ब्याज का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय ₹ 0.06 करोड़ कम हो गया है।

यह वित्त लेखे की विवरणी 15 तथा 21 के आंकड़ों के संदर्भ में है।

**(viii) सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ :**

राज्य सरकार ने न तो गारंटी अधिनियम बनाया है और न ही हरियाणा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में कुल बकाया सरकारी गारंटियों की कोई सीमा प्रस्तावित की है।

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की राशि ₹ 12,447.33 करोड़ है। 1 अप्रैल 2024 तक, ₹ 24,214.81 करोड़ की बकाया गारंटियाँ, वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,01,314.84 करोड़) का 23.90 प्रतिशत बनती हैं। हालाँकि, इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

राज्य सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से कुछ विभागों को छोड़कर, जहां शुल्क 1 प्रतिशत निर्दिष्ट है, वर्ष में दी जाने वाली गारंटी राशि पर 2 प्रतिशत का गारंटी शुल्क निर्धारित किया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को गारंटी शुल्क के रूप में ₹ 204.94 करोड़ (₹ 273.44 करोड़ की प्राप्य राशि में से) प्राप्त हुए, जो वर्ष 2023-24 के अंत में बकाया गारंटी राशि (₹ 24,214.81 करोड़) का 0.85 प्रतिशत था।

इसके अलावा वर्ष 2023-24 के दौरान कोई गारंटी लागू नहीं की गई है।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखे की विवरणी 9,14 तथा 20 में उपलब्ध हैं।

**(ix) पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण पर व्यय:**

राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के प्रति किए गए व्यय को वित्त लेखों में विभिन्न कार्यात्मक लेखा शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष स्तर तक दर्शाया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, हरियाणा सरकार ने मुख्य शीर्ष 3435- पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण, 2402- मृदा तथा जल संरक्षण और 2406- वानिकी और वन्य जीवन के अंतर्गत ₹ 229.77 करोड़ के बजट आवंटन (पुनर्विनियोग आदेशों को शामिल करने के पश्चात) के मुकाबले ₹ 247.56 करोड़ खर्च किए।

पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान, हरियाणा सरकार ने मुख्य शीर्ष 3435 - पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण, 2402- मृदा तथा जल संरक्षण और 2406- वानिकी और वन्य जीवन के अंतर्गत ₹ 303.44 करोड़ बजट आवंटन (पुनर्विनियोग आदेशों को शामिल करने के पश्चात) के बजट आवंटन के मुकाबले ₹ 312.97 करोड़ खर्च किए थे।

यह वित्त लेखे की विवरणी 15 के संदर्भ में है।

**(x) अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं/आपदा से संबंधित व्यय:**

वर्ष 2023-24 के दौरान, हरियाणा सरकार ने अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं से संबंधित राहत उपायों पर ₹ 377.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 137.38 करोड़) व्यय किए। ₹ 377.56 करोड़ का पूरा व्यय मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत राजस्व व्यय के रूप में किया गया तथा बाद में इसे राज्य आपदा राहत निधि से पूरा कर लिया गया। राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार से ₹ 433.60 करोड़ की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई, जिसे मुख्य शीर्ष 1601- केन्द्र सरकार से सहायतानुदान के अंतर्गत लेखांकित किया गया है।

यह वित्त लेखे की विवरणी 2, 4, 14 तथा 15 के संदर्भ में है।

**(xi) केंद्रीय ऋणों को बट्टे खाते में डालना:**

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने फरवरी 2012 में केंद्रीय योजना तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2010 तक विभिन्न मंत्रालयों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋणों को छोड़कर) द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश की प्रभावी तिथि (31 मार्च 2010) तथा इसके कार्यान्वयन से किए गए मूलधन एवं ब्याज के अतिरिक्त पुनर्भुगतान को, वित्त मंत्रालय को भविष्य के पुनर्भुगतान के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति दी। हरियाणा सरकार ने 31 मार्च 2014 के अंत तक ₹ 20.85 करोड़ (मूलधन ₹ 10.18 करोड़, ब्याज ₹ 10.67 करोड़) का अतिरिक्त पुनर्भुगतान किया था, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा पहले ही समायोजित किया जा चुका है।

यह वित्त लेखे की विवरणी 17 के संदर्भ में है।

**(xii) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण:**

31 मार्च 2024 तक, 11 विभागों (29 ऋणी संस्थाओं) से जुड़े ₹ 3,228.51 करोड़ के पुराने ऋणों के संबंध में, जिसमें वर्ष 2011-12 से लंबित ऋण शामिल हैं, पिछले कई वर्षों से मूलधन की वसूलियां नहीं की जा रही, वर्ष

2023-24 के दौरान सांविधिक निकायों/अन्य संस्थाओं (विवरण वित्त लेखे की विवरणी 18 के अतिरिक्त प्रकटीकरण में दिया है) को प्रदत्त ₹ 3,539.37 करोड़ के ऋणों के पुनर्भुगतान के नियम तथा शर्तों का निर्धारण नहीं किया गया है। परिणामतः, इस संबंध में राज्य सरकार की प्राप्तियों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को वार्षिक रूप से ऋण शेषों के सत्यापन एवं स्वीकृति के लिए सूचित करता है। पांच विभागों द्वारा सूचना भेजी गई है जिसका मिलान अभी होना है। शेषों के मिलान हेतु विभागीय अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट-VII में दिया गया है।

यह वित्त लेखे की विवरणी 7 तथा 18 के संदर्भ में है।

**(xiii) प्रतिबद्ध देयताएं :**

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा लेखांकन के प्रोद्घवन लेखांकन की ओर बढ़ने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि, प्रोद्घवन लेखांकन प्रणाली में बदलाव के लिए परिवर्तन कई चरणों में होगा, इसलिए निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रोकड़ लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में विवरण के रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी को जोड़ा जाना आवश्यक है। राज्य सरकार को प्रतिबद्ध देयताओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी होती है, परन्तु केवल एक विभाग (सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण और अंत्योदय विभाग) के द्वारा ही इसे प्रस्तुत किया गया है तथा इसे वित्त लेखे के खंड-II के परिशिष्ट-XII में दर्शाया गया है।

**(xiv) केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.)पर व्यय :**

वित्त लेखों की विवरणी 15 तथा 16 के अनुसार वर्ष के दौरान, 31 मार्च 2024 तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं केंद्रीय सहायता (एस.डी.आर.एफ., एस.डी.एम.एफ. आदि) के तहत दर्ज किया गया कुल व्यय ₹ 4,604.90 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 4,316.38 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय ₹ 288.52 करोड़) है।

**(xv) केंद्र सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन एजेंसियों/ लाभार्थियों को केंद्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण:**

लेखा महानियंत्रक के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष ₹ 15,373.59 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष 2023-24 में, क्रियान्वयन एजेंसियों को, वर्ष 2022-23 की तुलना में निधि को प्रत्यक्ष हस्तांतरण में 6.59 प्रतिशत (वर्ष 2022-23 के ₹ 14,423.48 करोड़ से ₹ 15,373.59 करोड़) की वृद्धि हुई है।

विवरण वित्त लेखा के परिशिष्ट-VI में उपलब्ध है।

**(xvi) राज्य सरकार की बजट से बाहर की देयताएं, निहित सब्सिडी और नीतिगत निहितार्थों के कारण राजकोषीय बोझ:**

बजट से बाहर के कर्जे सरकार का दायित्व है क्योंकि मूलधन और उस पर ब्याज अनिवार्य रूप से राज्य इकाई को सरकारी बजट के माध्यम से सहायता या अनुदान के रूप में दिया जाता है।

राज्य सरकार ने अपने वार्षिक बजट में बजट से बाहर की देयताओं का खुलासा नहीं किया है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को बजट से बाहर की देयताओं की जानकारी शून्य दी गई।

हालांकि, 31 मार्च 2024 तक विवरण संख्या 6 के अनुसार लेखों में दर्शाई गई देयताएँ जोकि ₹ 3,38,368.26 करोड़ (सार्वजनिक ऋण ₹ 2,96,597.46 करोड़ और लोक लेखा ₹ 41,770.80 करोड़) हैं, के अलावा, बजट से बाहर की देयताएं ₹ 201.60 करोड़ हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को बजट से बाहर की उधारी के कारण मूलधन के पुनर्भुगतान तथा ब्याज की अदायगी के लिए सहायता अनुदान के रूप में ₹ 105.39 करोड़ प्रदान किए।

बजट के बाहर की उधारी के अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के डिस्कॉम (डी.आई.एस.सी.ओ.एम.) को ₹ 6,885.56 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई।

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने उदय (यू.डी.ए.वाई.) के अंतर्गत जारी बांड पर ₹ 5,190.00 करोड़ का मूलधन और ₹ 1,346.76 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया है।

**(xvii) एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) को धन का हस्तांतरण:**

राज्य सरकार/पी.एफ.एम.एस./ एस.एन.ए. की रिपोर्ट एस.एन.ए. 01 के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान अपने ट्रेजरी खाते में केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 2,577.32 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2024 तक, सरकार ने केंद्रीय हिस्से के ₹ 2,282.28 करोड़ और राज्य हिस्से के ₹ 4,080.11 करोड़ एस.एन.ए. को हस्तांतरित किये। ₹ 6,362.39 करोड़ के कुल हस्तांतरण में से ₹ 162.46 करोड़ सार आकस्मिकता बिलों के द्वारा, ₹ 2,975.96 करोड़ सहायता अनुदान बिलों के द्वारा, तथा ₹ 3,223.97 करोड़ पूर्ण प्रमाणित आकस्मिकता बिलों के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एस.एन.ए. से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्राप्त नहीं हुए। केंद्रीय हिस्से के ₹ 2,577.32 करोड़ के बदले, ₹ 2,282.28 करोड़ हस्तांतरण करने के कारण, ₹ 295.04 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ। इस सीमा तक रोकड़ शेष को बढ़ाकर बताया गया।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी/एस.एन.ए. की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एस.एन.ए. के बैंक खातों में ₹ 2,683.41 करोड़ अव्ययिक पड़े हैं। वित्त लेखों तथा एस.एन.ए. के आंकड़े मिलान के अधीन है।

**(xviii) डी.डी.ओ. बैंक खातों में हस्तांतरित धनराशि:**

वर्ष 2023-24 के दौरान, हरियाणा सरकार के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) द्वारा 113 बैंक खाते खोले गए हैं। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक, 538 डी.डी.ओ. के पास 651 बैंक खाते हैं। अन्य विभागों से जानकारी प्रतीक्षित है।

वर्ष के दौरान, इन डी.डी.ओ. के बैंक खातों में ₹ 27,461.58 करोड़ हस्तांतरित किए गए। राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक, डी.डी.ओ. के बैंक खातों में अभी भी ₹ 5,180.76 करोड़ अव्ययित पड़े थे। इसमें बजटीय तथा गैर बजटीय डी.डी.ओ. शामिल हैं।

**4. आकस्मिकता निधि:**

हरियाणा आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1966 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, इस में धन के भुगतान तथा इससे धन की निकासी से संबंधित या सहायक सभी मामलों को विनियमित करने के लिए हरियाणा आकस्मिकता निधि नियम, 1967 बनाए हैं। हरियाणा राज्य की आकस्मिकता निधि का कोष ₹ 1,000.00 करोड़ है।

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि से ₹ 545.95 करोड़ की राशि निकाली। वर्ष 2023-24 के अंत तक, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत ₹ 545.95 करोड़ की राशि अनापूर्त रही। विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1.	2202-सामान्य शिक्षा	266.95
2.	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	279.00

31 मार्च 2024 तक, आकस्मिकता निधि में ₹ 454.05 करोड़ का शेष था।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखे की विवरणी 1,2, तथा 21 में उपलब्ध हैं।

**5. लोक लेखा:**

**(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) :**

01 जनवरी 2006 को या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के अंतर्गत आते हैं, जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है। योजना के अनुसार, कर्मचारी को अपने मासिक वेतन का 10 प्रतिशत तथा राज्य सरकार को 14 प्रतिशत की दर से अंशदान करना होता है। पूरी राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा निगमित लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/अमानती बैंक के माध्यम से मनोनीत निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जानी होती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान एन.पी.एस. में कुल योगदान ₹ 2,821.55 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹ 1,157.10 करोड़ तथा सरकार का अंशदान ₹ 1,664.45 करोड़) था, जिसे मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत लोक लेखा को हस्तांतरित किया गया। सरकारी अंशदान की विस्तृत जानकारी मुख्य शीर्ष 2071 के अंतर्गत वित्त लेखे की विवरणी संख्या 15 में उपलब्ध है।

लोक लेखा में हस्तांतरित/जमा की गई कुल राशि में से ₹ 26.59 करोड़ (पिछले वर्ष के ₹ 0.80 करोड़ सहित) लोक लेखा में से एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित नहीं किये गए। 31 मार्च 2024 को सरकार का रोकड़ शेष इस राशि की वजह से अधिक दिखाई दिया।

**(ii) (अ) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ :**

**(क) राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ.) :**

राज्य आपदा राहत निधि (मुख्य शीर्ष-8121 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों) के अंतर्गत, जो कि ब्याज वाले अनुभाग के अंतर्गत आती है) के गठन तथा संचालन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय व राज्य सरकारों को निधि में 75:25 के अनुपातानुसार अंशदान देना आवश्यक है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 433.60 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 144.00 करोड़ का है। राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत निधि में ₹ 1,118.11 करोड़ (केंद्रीय भाग ₹ 433.60 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹ 144.00 करोड़, ब्याज ₹ 408.00 करोड़ तथा विभागीय अधिकारियों के पास अव्ययित पड़े ₹ 132.51 करोड़) हस्तांतरित किये गए।

31 मार्च 2024 तक मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत निधि में जमा/हस्तांतरण हेतु एन.डी.आर.एफ. के लिए केंद्र सरकार से राज्य को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। निधि से व्यय के रूप में मुख्य शीर्ष 2245 में ₹ 377.56 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा, निधि से कोई राशि निवेश नहीं की गई। 31 मार्च 2024 तक निधि में अंतिम शेष ₹ 5,737.22 करोड़ था।

**(ख) राज्य आपदा शमन निधि :**

राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी.एम.एफ.) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) (ग) के तहत किया जाना है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एन.डी.आर.एफ.) के दिशा-निर्देशों और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदाओं के तहत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से बनाई गई है। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक मुख्य शीर्ष 8121-130- राज्य आपदा शमन निधि के तहत एस.डी.एम.एफ. का गठन नहीं किया है।

केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को निधि में 75:25 के अनुपातानुसार अंशदान देना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 के

दौरान, राज्य सरकार को, न तो केंद्रीय सरकार के हिस्से के रूप में कोई धनराशि प्राप्त हुई और न ही इसने मुख्य शीर्ष 8121-130 एस.डी.एम.एफ. के अंतर्गत निधि में कोई राशि हस्तांतरित की।

**(ग) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि :**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुपालन में, राज्य सरकारों को क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धन राशियों के लिए, राज्य के लोक लेखा में ब्याज वाले अनुभाग के अंतर्गत राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि (एस.सी.ए.एफ.) स्थापित करना आवश्यक है।

हालांकि हरियाणा राज्य द्वारा राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि (एस.सी.ए.एफ.) का गठन कर दिया गया है, लेकिन उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि सीधे राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण), नई दिल्ली को जमा की जा रही है जोकि समय-समय पर क्षतिपूरक वनीकरण निधि (राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण निधि के अंतर्गत जमा) का 90 (नब्बे) प्रतिशत राज्य का हिस्सा राज्य सरकार को हस्तांतरित करता है। राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा से ₹ 615.38 करोड़ (पिछले वर्ष में शून्य) प्राप्त हुए। वर्ष 2023-24 के दौरान निधि के ब्याज के रूप में ₹ 37.26 करोड़ की राशि अर्जित हुई।

सरकार ने एस.सी.ए.एफ. निधि से ₹ 59.21 करोड़ का व्यय किया, हालांकि वर्ष के दौरान कोई राशि निवेश नहीं की गई।

31 मार्च 2024 तक राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि में शेष राशि ₹ 1,559.84 करोड़ थी।

**(ब) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ :**

**(क) समेकित निक्षेप निधि:**

हरियाणा सरकार ने 2002 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य गत वर्ष के अंत में अपनी कुल देयताओं (आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा) का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत अंशदान समेकित निक्षेप निधि में कर सकते हैं। वर्ष 2023-24 में, सरकार ने निधि को किए जाने वाले ₹ 1,452.89 करोड़ के अंशदान के मुकाबले ₹ 300.00 करोड़ का अंशदान दिया। 31 मार्च 2024 को निधि का कुल अधिशेष ₹ 2,124.41 करोड़ था (31 मार्च 2023 तक ₹ 1,694.47 करोड़)। निधि में ₹ 1,152.89 करोड़ का कम अंशदान किया गया।

**(ख) गारंटी मोचन निधि:**

राज्य सरकार ने आर.बी.आई. के संचालन में गारंटी मोचन निधि का गठन किया था। वर्ष 2020-21 से प्रभावी, राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अधिसूचना के नवीनतम संशोधन के अनुसार राज्य सरकार, शुरु में गत वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों का न्यूनतम एक प्रतिशत तथा उसके बाद 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान करेगी ताकि अगले पाँच वर्षों में न्यूनतम तीन प्रतिशत के बराबर निधि उपलब्ध हो सके। निधि को धीरे-धीरे पाँच प्रतिशत के

वांछनीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा। वर्ष के दौरान, सरकार ने निधि में कोई अंशदान नहीं दिया क्योंकि 31 मार्च 2024 को निधि का कुल अधिशेष ₹ 1,662.80 करोड़ (31 मार्च 2023 तक ₹ 1,540.86 करोड़) था, जोकि बकाया गारंटियों का 6.87 प्रतिशत है।

निधि में लेन-देनों को वित्त लेखे की विवरणी 21 तथा 22 में दर्शाया गया है।

**(iii) केंद्रीय सड़क एवं अवसंचरना निधि (सी.आर.आई.एफ.) :**

भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2018 के द्वारा पूर्ववर्ती केंद्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) का नाम बदलकर केंद्रीय सड़क एवं अवसंचरना निधि (सी.आर.आई.एफ.) कर दिया गया है। सी.आर.आई.एफ. का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे में सुरक्षा में सुधार, राज्य तथा ग्रामीण सड़कों तथा अन्य बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव, आदि के लिए किया जाएगा।

मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, केंद्र से राज्य को प्राप्त अनुदान को शुरू में मुख्य शीर्ष- 1601 के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। इसके बाद, प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के माध्यम से लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा, 103-केंद्रीय सड़क एवं अवसंचरना निधि में हस्तांतरित किया जाना है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्रीय सड़क एवं अवसंचरना निधि के लिए ₹ 108.60 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ और 31 मार्च 2024 तक इसे लोक लेखा में निधि में स्थानांतरित कर दिया गया।

**(iv) उच्चत एवं प्रेषण शेष:**

वर्ष 2023-24 के दौरान, वाउचर/ स्वीकृति पत्र आदि जैसे दस्तावेजों के अभाव में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय द्वारा ₹ 0.43 करोड़ का राजस्व व्यय एवं ₹ 2.00 करोड़ की प्राप्तियां (मुख्य शीर्ष 8658, लघु शीर्ष 110-रिजर्व बैंक उच्चत-केंद्रीय लेखा कार्यालय) उच्चत में रखी गई हैं। सरकार का कुल व्यय/प्राप्ति इस सीमा तक कम दर्शाया/दर्शाया गया/गई है। वित्त लेखे उच्चत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। 31 मार्च 2024 को, विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से लंबित नामे व जमा शेषों को जोड़ते हुए, इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, तीन मुख्य शीर्षों (8658, 8782 तथा 8793) के अंतर्गत ₹ 317.33 करोड़ (जमा) था। [31 मार्च 2023 तक ₹ 777.60 करोड़ (जमा)]

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का समाशोधन न होना राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों तथा शेषों (जिन्हें वर्ष दर वर्ष आगे ले जाया जाता है) की सार्थकता को प्रभावित करता है।

**(v) चेक, बिल एवं डिजिटल भुगतान:**

मुख्य शीर्ष 8670 चेक एवं बिल के अंतर्गत जमा राशि, जारी किए गए चेकों जिनका रोकड़ अभी आना है, को इंगित करता है। 01 अप्रैल 2023 को आरंभिक शेष ₹ 0.05 करोड़ (जमा) था। वर्ष 2023-24 के दौरान, न तो कोई चेक जारी किया गया, न ही किसी का भुगतान किया गया और ₹ 0.05 करोड़ (जमा) की बकाया राशि का निपटान कर दिया गया, जिससे 31 मार्च 2024 को कोई कोई अंतिम शेष नहीं था। भुगतान डिजिटल माध्यम

से किए जा रहे हैं। डिजिटल भुगतान के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम में किये भुगतान आदेशों को लेन देन पूरा होने पर व्यय के रूप में माना जाता है। हालांकि, 'ई-कुबेर विफल' लेन-देन के रूप में संदर्भित विफलता के मामले में राशि को मुख्य शीर्ष 8658 में उच्चतम के रूप में दर्ज किया जाता है। वर्ष 2023-24 में ₹ 0.12 करोड़ (नामे) को 'ई-कुबेर विफल लेन-देन' के कारण उच्चतम में दर्ज किया गया।

**(vi) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए उपकर**

हरियाणा सरकार ने दुधारू पशुओं के आनुवंशिकी स्टॉक के सुधार के लिए दुग्ध प्लांट की अनुज्ञप्त क्षमता पर उपकर लगाने के लिए हरियाणा मुराह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशुपालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन और विकास) अधिनियम, 2001 लागू किया। दुग्ध प्लांटों द्वारा दूध उपकर को अलग नियमित दूध उपकर खातों (हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा संचालित) में जमा किया जाता है। 2023-24 के दौरान उपकर के रूप में ₹ 9.80 करोड़ की राशि एकत्रित की गई है। इसे राज्य सरकार के लेखों में नहीं लिया जा रहा।

**(vii) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी.) को प्रेषण:**

खान और खनिज (विनियमन और विकास)-एन.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 की धारा 9 सी (1) (2015 में संशोधन के माध्यम से सम्मिलित) के अंतर्गत, अगस्त 2015 में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण संस्था (एन.एम.ई.टी.) की स्थापना की गई थी। अधिनियम की धारा 9 सी (4) के अनुसार, खनन पट्टे या खनिज रियायत के धारक को दूसरी अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान संस्था को ऐसे तरीके से करेगा जैसा कि केंद्र सरकार निर्धारित करती है।

एन.एम.ई.टी. नियम, 2015 के नियम 7(6) के अनुसार, राशि एकत्रित करने तथा एकत्रित राशि को संस्था निधि में जमा करने और केंद्र सरकार के साथ साझा किए जाने वाले आवश्यक लेखों को रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके अतिरिक्त, नियम 7(7) के अनुसार, राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 9 सी की उप-धारा (4) के अनुसार भुगतान की गई राशि और रॉयल्टी भुगतान के बारे में मासिक आधार पर भारतीय खान ब्यूरो को जानकारी प्रदान करेगी।

लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार रॉयल्टी प्राप्त होने पर, पूरी प्राप्ति को मुख्य शीर्ष 0853-102-खनिज रियायत, शुल्क एवं रॉयल्टी के अंतर्गत वर्गीकृत करती है। इसके बाद, आवश्यक राशि शीर्ष 8449-123-एन.एम.ई.टी. के अंतर्गत राज्य के लोक लेखा में स्थानांतरित कर दी जाती है। फिर अभिवृद्धि को समय-समय पर भारत के लोक लेखा के अंतर्गत एन.एम.ई.टी. में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एन.एम.ई.टी. निधि भारत के लोक लेखा के अंतर्गत बनाई गई गैर-व्यपगत एवं बिना ब्याज वाली निधि है।

हरियाणा सरकार के दिनांक 09 जुलाई 2024 के पत्र के अनुसार, हरियाणा राज्य में मुख्य खनिज की कोई चालू खदान नहीं है/थी। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने खनिज रियायतों, शुल्क तथा रॉयल्टी के नाम पर कोई रॉयल्टी एकत्रित नहीं की। इसलिए, एन.एम.ई.टी. को कोई हस्तांतरण नहीं किया गया।

**(viii) प्रतिकूल शेष:**

प्रतिकूल शेष एक ऐसी स्थिति है, जब वित्तीय वर्ष के अन्त में, लेखा शीर्ष जिसके शेष को आगे ले जाना होता है, माइनस शेष दर्शाता है। देयता शीर्ष या शीर्ष जहां समान्य रूप से जमा शेष होना चाहिए के अंतर्गत नामे/(-)जमा शेष हो तथा परिसम्पत्ति शीर्ष या शीर्ष जहां समान्य रूप से नामे शेष होना चाहिए के अंतर्गत जमा/(-)नामे शेष हो। लेखा शीर्ष में प्रतिकूल शेष, गलत वर्गीकरण, धन की उपलब्धता से अधिक संवितरण, प्राप्त अंशदान से अधिक व्यय, एक लेखा इकाई से दूसरी में शेषों को आगे न ले जाना, प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण राज्यों/ज्यादा लेखा इकाईयों का गठन, आदि, के कारण होते हैं।

वर्ष 2023-24 में, प्रतिकूल शेष ₹ (-)13.50 करोड़ था। 31 मार्च 2024 तक, प्रतिकूल शेष एक शीर्ष में नीचे दिए गए विवरणानुसार दिखाई देता है:

लेखा शीर्ष	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
7610-800-99	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण, अन्य अग्रिम, राज्य सेवा अधिकारियों को गेहूं ऋण (अराजपत्रित)	(-)13.50

**(ix) रोकड़ शेष:**

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के रिकार्ड के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक, रोकड़ शेष ₹ 373.36 करोड़ (नामे) था और आर.बी.आई. ने इसे ₹ 81.90 करोड़ (जमा) सूचित किया था। ₹ 291.46 करोड़ (नामे) का निवल अंतर मुख्यतः कोषालय/आर.बी.आई./एजेंसी बैंक और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के बीच लंबित मिलान के कारण था। अंतर का मिलान किया जा रहा है। पिछले वर्ष, 31 मार्च 2023 तक की स्थिति ₹ 734.16 करोड़ (जमा) थी।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 में उपलब्ध हैं।

**6. प्राप्ति, व्यय एवं रोकड़ शेष पर प्रभाव:**

राज्य के वित्त पर, गलत वर्गीकरण/सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन न होने के कारण, पूर्ववर्ती पैरों में वर्णित मदों का राजस्व व्यय पर प्रभाव, निम्न तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

पैरा संख्या	मद	राजस्व व्यय अधिक बताना	राजस्व व्यय कम बताना	पूँजीगत व्यय अधिक बताना	पूँजीगत व्यय कम बताना	राजस्व प्राप्ति अधिक बताना	राजस्व प्राप्ति कम बताना	रोकड़ शेष कम बताना	रोकड़ शेष अधिक बताना
3(vii)	सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में ब्याज का भुगतान न करना	..	0.06	..	..	..	..	..	..
3(xvii)	एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) को धन का हस्तांतरण	..	..	..	..	..	..	..	295.04
4	अनापूर्त रही आकस्मिक निधि	..	545.95	..	..	..	..	..	..
5(i)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली राशि का राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा निगमित को कम हस्तांतरण	..	..	..	..	..	..	..	26.59
<b>कुल प्रभाव</b>	<b>कम/अधिक बताना</b>		<b>546.01</b>	..	..	..	..	..	<b>321.63</b>



© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/ae/haryana/en>

